

जिस जिले में वह भू-संपत्ति जिस पर भू-राजस्व निर्धारित किया गया है स्थित है उस जिले के अलावा किसी अन्य जिले के मुख्यालय की ट्रेजरी में जमा कराया जा सकता है, ऐसे मामलों में भू-संपत्तिधारी से उस भू-संपत्ति को निर्दिष्ट करने की अपेक्षा की जावेगी जिसके लिए कि भू-राजस्व अदा किया गया है।

8. अदायगी की रकम चपरासियों को न दी जाय:—अदायगी की रकम उन चपरासियों को न दी जाय, जिन्हें मांग लेख (Writ of demand) या प्राह्वान-पत्र (Citation to appear) की तामिल कराने का काम सौंपा गया हो।

9. राजस्व किस प्रकार अदा किया जाय:—(1) राजस्व की अदायगी जिस कार्यालय में की जानी हो वहां सिक्कों या नोटों में अवश्य कर दी जानी चाहिये या उस कार्यालय को मनीआर्डर में, या जहां तक जनरल फाइनेन्सियल एण्ड अकाउन्ट रूल्स के अनुच्छेद 80 द्वारा जिस सीमा तक अनुमत हो, बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज दी जानी चाहिये।

(2) राजस्व की अदायगी में मूल्यवान प्रतिभूतियों या किसी भी प्रकार के मुद्रांक स्वीकार नहीं किये जावेंगे और डाक द्वारा भेजे गये करेन्सी नोटों को लेने से इन्कार कर दिया जावेगा।

10. चैक स्वीकार करने की शर्तें:—ऐसे स्थानों में, जहां स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या किसी भी अन्य अनुसूचित बैंक द्वारा ट्रेजरी का कारबार किया जाता हो तो सरकारी देयों के भुगतान के रूप में ऐसे बैंकों के नाम दिये गये चैकों को, निम्नलिखित नियमों के अधीन, स्वीकार कर लिया जायेगा:—

(1) चैक रेखित (Crossed) होने चाहिये।

(2) प्रत्येक चैक के संबंध में उसके पेश किये जाने पर, निम्नलिखित प्रपत्र में एक रसीद दी जायेगी, परन्तु यदि चैक देने वाला पक्की रसीद भी चाहता हो तो (चैक) पेश करते समय उसे इस आशय के अनुदेश दे देने चाहिये, और चैक की नकद रकम प्राप्त हो जाने के पश्चात् डाक द्वारा पक्की रसीद उसके पते पर भेज दी जायेगी _____ के लेख/चालान संख्या _____ के अनुसार _____ बैंक के नाम _____ रूपयों के लिये दिया गया बैंक संख्या _____ प्राप्त हुआ।

(3) यदि बैंक द्वारा चैक स्वीकार किया जाय तो इस बात की सूचना बैंक देने वाले को, नकद में भुगतान करने की मांग सहित, तुरन्त दी जायेगी चैक के अस्वीकार होने की सूचना देने में देरी हो जाने के फल-स्वरूप संभवतः होने वाली किसी क्षति या हरजाने के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

(4) सरकारी देयों के भुगतान में दिये जाने वाले चैक, जिनके ट्रेजरी में पेश करने की कोई अंतिम तारीख निश्चित कर दी गई है, स्वीकार नहीं किये जायेंगे, यदि वे ऐसी तारीख से पूर्व के दिन के पश्चात् पेश किये जायेंगे।

(5) सरकारी देयों के भुगतान में डिमाण्ड ड्राफ्ट्स भी मंजूर किये जायेंगे।

11. ट्रेजरियों तथा सब-ट्रेजरियों संबंधी पालन किये जाने वाले नियम:—(1) तहसीलदार के कार्यालय में जमा कराया जाने वाला राजस्व, सब-ट्रेजरियों संबंधी नियमों के अनुसार ही जमा कराया जाना चाहिये।

(2) हैडक्वार्टर्स ट्रेजरी में जमा कराया जाने वाला राजस्व, डिमिण्ड ट्रेजरियों संबंधी नियमों के अनुसार ही जमा कराया जाना चाहिये।

12. राजस्व या लगान पटवारियों की मारफत दिया जावेगा:—नियम 5 के प्रावधानों के अधीन राजस्व या लगान के भुगतान पटवारी को, या उसके हल्के के हैडक्वार्टर पर या उसके हल्के में ऐसे अन्य स्थानों पर जो जिले के कलेक्टर द्वारा निर्दिष्ट किये जायें, किये जायेंगे।

13. सह-हिस्सेदारों से संग्रहण:—सह-हिस्सेदारों या सह-हिस्सेदारों के समूहों से उनके हिस्से अनुसार संग्रहण किया जा सकेगा, परन्तु इसका, भू-संपदा के संबंध में देय संपूर्ण राजस्व के लिये, समस्त-हिस्सेदारों के संयुक्त दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खा—आंकलन (Credits) भुगतानों का प्रयोग

14. आंशिक भुगतान का प्रयोग किस प्रकार किया जाय:—जहां दो या अधिक सालों की बकाया अप्राप्त हो, और आंशिक भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई हो कि किसी विशेष वर्ष की बकाया को जमा करने के लिये भुगतान का प्रयोग किया जाय तो प्राप्तियां सर्वप्रथम उक्त प्रथम वर्ष की मांग के खाते में आंकलित की जायेगी जिसके क्रि लिये बकाया अप्राप्त हों, और शेष (यदि कोई हो) उसके बाद के उत्तरवर्ती वर्ष की मांग के खाते आंकलित की जायेगी और इसी प्रकार आगे किया जायेगा; (राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 132 से तुलना कीजिये)।

15. वे परिस्थितियां जिनमें भुगतान पहले उप-करों की बकाया मांग के खाते में आंकलित किया जायेगा:—जहां राजस्व या लगान की बकाया और किसी भी प्रकार के प्राधिकृत उप-करों की बकाया दोनों ही अप्राप्त हों और आंशिक भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई स्पष्ट सूचना न दी जाय कि भुगतान राजस्व या लगान की अथवा प्राधिकृत उप-करों की बकाया चुकाने के लिये काम में लाया जाय तो प्राप्तियां पहिले ऐसी उप-करों की अप्राप्त मांग को चुकता करने के लिये आंकलित की जायेगी।

गा—प्रत्यर्पण (Refunds)

16. कलेक्टर के आदेश पर, अधिक ली गयी रकम प्रत्यर्पित की जायेगी:—(1) उचित मांग से अधिक संग्रहित कोई भी रकम कलेक्टर के आदेश पर प्रत्यर्पित की जा सकती है।

(2) लेखों के भिन्न भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आंकलित मदों से प्रत्यर्पण उक्त प्रकार से माहा जाय तो प्रत्येक मद के संबंध में एक पृथक आवेदन-पत्र अवश्य दिया जाना चाहिये।

17. जनरल फाइनेन्शियल एण्ड एकाउन्ट्स रूल्स के अध्याय-14 के नियमों का पालन:—ऐसे प्रत्यर्पण करते समय कलेक्टर, जनरल फाइनेन्शियल एण्ड एकाउन्ट्स रूल्स के अध्याय-14 में निहित नियमों का पालन करेगा।

राजस्व या लगान की बकायाओं की वसूली

का—सामान्य

18. आदेश लेखों (Writs) प्राह्वानों (Citations) अधिपत्रा (Warrants) तथा उद्घोषणाओं (Proclamations) के प्रपत्र:—प्रादेश, लेखे, प्राह्वान, अधिपत्र तथा उद्घोषणाएं संलग्न प्रपत्रों में होंगी। उन पर जारी किये जाने की तारीख, जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा उसकी मुद्रा अंकित होंगी।

19. मांग की प्रविष्टियों की शुद्धि के लिये उत्तरदायित्व:—तहसील रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट, समस्त आदेशिकाओं (Processes) में की गई मांग की प्रविष्टियों की शुद्धि के लिये उत्तरदायी होगा जिनमें कि ऐसी मांग की प्रविष्टि की जाती अपेक्षित है और इस संबंध में उसकी शुद्धि के प्रतीक स्वरूप ऐसी प्रत्येक आदेशिका पर हस्ताक्षर करेगा।

20. लेखों के विवरण का प्रमाणीकरण:—बकाया की वसूली के लिये आदेशिका के प्रथम बार जारी होने पर, धारा 227 द्वारा निर्धारित लेखे का विवरण तहसील रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार किया जायेगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया जायेगा; परन्तु यदि प्रथम बार जारी की गई आदेशिका, आदेश लेख (Writ) या प्राह्वान (Citation) हों तो तहसीलदार का प्रमाण-पत्र प्रतिपण (Counterfoil) पर अभिलिखित किया जायेगा।

21. एक या अधिक चूक करने वालों के विरुद्ध कुर्की या विक्रय के आदेश लेख (Writ) परन्तु उपस्थित होने के लिये प्रत्येक को अलग अलग प्राहवानः—मांग का एक ही आदेश लेख, या न्यायिक की कुर्की तथा विक्रय के लिये एक ही आदेश लेख चूक करने वालों की संख्या में से किसी भी एक के विरुद्ध, या कुछ या समस्त के विरुद्ध, जो कि बकाया को चुकाने के लिये संयुक्त रूप से उत्तरदायी है, जारी किया जा सकेगा, परन्तु उपस्थित होने के लिये प्राहवान, प्रत्येक चूक करने वाले को, जिसका उपस्थित होना अपेक्षित है, पृथक पृथक रूप से जारी किया जाना जरूरी है।

22. आदेशिका संपूर्ण बकाया के संबंध में जारी होगी:—अतिरिक्त के प्रावधानों के अधीन, आदेशिका का आमतौर पर चूक करने वाले द्वारा देय संपूर्ण बकाया के संबंध में जारी होगी, चाहे ऐसी बकाया एक के संबंध में देय हो या अधिक भू-संपदाओं के संबंध में देय हों।

खा-मांगों के आदेश लेख (Writ) तथा प्राहवान (Citation)

23. धारा 229 के अन्तर्गत आदेशिका तहसीलदार, एस० डी० ओ० या कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी:—(1) धारा 229 के अन्तर्गत आदेशिका (मांग का आदेश लेख या उपस्थित होने के लिये प्राहवान) उस तहसील के तहसीलदार द्वारा, जिसमें कि बकाया देय हुई या कलेक्टर या सब-डिविजन के सब-डिविजनल आफिसर की आज्ञा से जारी की जायेगी।

(2) यदि तहसीलदार ऐसी आदेशिका, उसी जिले की दूसरी तहसील में रहने वाले किसी चूक करने वाले के विरुद्ध जारी करता है तो वह ऐसा या तो सीधे तौर पर या ऐसी अन्य तहसील के तहसीलदार के मारफत कर सकता है।

24. अन्य आदेशिका का आश्रय लेने से पूर्व, आमतौर पर मांग का आदेश लेख (Writ) या प्राहवान जारी होना चाहिये:—धारा 231 (भूमि की कुर्की) के अन्तर्गत आदेशिका जारी होने के पूर्व धारा 229 के अन्तर्गत आदेशिका जारी होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, परन्तु आमतौर पर प्रपत्र 1 में आदेश लेख या प्रपत्र 2 में उपस्थित होने का प्राहवान किसी अन्य आदेशिका का आश्रय लेने से पूर्व, जारी होना चाहिये।

25. मांग के आदेश लेख (Writ) या उपस्थित होने के प्राहवान के लिये फीस:—आदेश लेख या उपस्थित होने के लिये प्राहवान जारी करने के लिये ली जाने वाली फीस रु० 1) होगी। यह फीस उस बकाया में जोड़ी जायेगी जिसके कि लिये आदेश लेख या प्राहवान जारी किया गया है, और उसमें निर्दिष्ट रकम में शामिल होगी।

26. मांग के आदेश लेख (Writ) तथा प्राहवानों (Citations) की तामील करने के लिये आदेशिका वाहक (Process Server):—मांग के आदेश लेख तथा प्राहवान तहसील में लगे हुए आदेशिका वाहकों के नियत कर्मचारी वर्ग द्वारा या अतिरिक्त आदेशिका वाहकों द्वारा तामील किये जायेंगे खर्चों के लिये निधियों के उपलब्ध होने की शर्त के अधीन, अतिरिक्त आदेशिका वाहन कलेक्टर अस्थायी रूप से रखे जा सकेंगे।

27. उसी बकाया के संबंध में केवल एक ही मांग का आदेश लेख (Writ of demand) जारी होना:—किसी चूक करने वाले को उसी बकाया के संबंध में कलेक्टर की स्पष्ट आज्ञा के अधीन के सिवाय, एक से अधिक आदेश लेख जारी नहीं किया जायेगा। तामील की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, यदि बकाया नहीं चुकाई जाय, तो तुरन्त अन्य तरीके काम में लाये जाने चाहिये।

28. मांग के आदेश लेख (Writ of demand) या उपस्थित होने के प्राहवान (Citation to appear) की तामील का तरीका:—(1) आदेश लेख या प्राहवान की तामील, यदि संभव हो, तो चूक करने वाले पर व्यक्तिगत रूप से की जायेगी परन्तु यदि चूक करने वाले पर तामील नहीं की जा सके तो वह उसके अभिकर्ता पर की जा सकती है। यदि चूक करने वाला या उसका अभिकर्ता मिल नहीं सके या यदि ऐसे चूक करने वाले एक से अधिक हों, जिनके कि विरुद्ध आदेश लेख या प्राहवान जारी

किया गया है, तो उस भू-संपदा के लम्बरदार पर तामील ठीक समझी जायेगी या ऐसा न होने पर, आदेश लेख या प्राहवान की एक प्रतिलिपि चूक करने वाले के गकान के या उसके पास के किसी प्रमुख स्थान पर चिपका दी जायेगी ।

(2) व्यक्तिगत तामील चूक करने वाले या उसके अभिकर्ता का आदेश लेख या प्राहवान के द्वितीय अंश का प्रदान (Delivery) करके की जायेगी । दूसरा अंश आदेशिका वाहक द्वारा तहसील में लाया जायेगा और प्रतिपण (Counterfoil) जमा दिया जायेगा ।

(3) इस अंग को वापिस लौटाने समय, आदेशिका वाहक उस कर्मचारी को, जिसे कि तहसील-दार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, तामील की तारीख की, आदेश लेख या प्रोद्धरण को तामील करने के तरीके की और चूक करने वाले पर व्यक्तिगत रूप से उसकी तामील नहीं की गई हो तो इस प्रकार तामील नहीं करने के कारण की रिपोर्ट देगा । रिपोर्ट-मिलने पर वह कर्मचारी आदेशिका पर विवरण लिख देगा, यदि ऐसा पहले से नहीं किया गया हो ।

(4) कलक्टर की स्वीकृति से मांग के आदेश लेख रजिस्ट्रीकृत डाक से भी तामील किये जा सकेंगे । ऐसे मामलों में डाकघर की रसीद प्रतिपण से संलग्न कर दी जायेगी ।

गा-चलसंपत्ति की कुर्की तथा विक्रय

29. धारा 230 के अधीन आदेशिका कलक्टर या एस० डी० ओ० द्वारा जारी की जायेगी:—(1) धारा 230 (चलसंपत्ति की कुर्की तथा विक्रय) के अधीन आदेशिका केवल कलक्टर या सब-डिविजनल आफिसर की आज्ञाओं द्वारा या आज्ञाओं के अधीन जारी की जा सकती है ।

(2) चलसंपत्ति की कुर्की का अधिपत्र (Warrant) प्रपत्र 3 में तथा विक्रय का प्रपत्र 4 में होगा तथा विक्रय की उद्घोषणा प्रपत्र 4-ए में होगी । चूक करने वाले की लिखित सहमति के बिना कोई विक्रय तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि उद्घोषणा की तामील की तारीख से गिनकर कम से कम पन्द्रह दिन समाप्त नहीं हो गये हों ।

30. चलसंपत्ति की कुर्की तथा विक्रय के लिये कुर्क अमीन:—धारा 230 के अधीन राजस्व या लगान या राजस्व या लगान के रूप में वसूली योग्य बकाया की वसूली में चलसंपत्ति की प्रत्येक कुर्की तथा विक्रय, जब तक कि कुर्की के लिये आदेश देने वाला अधिकारी अन्यथा निर्देश न देवे, कुर्क अमीन द्वारा किया जायेगा । कुर्की के अधिपत्र (प्रपत्र 3) के लिये ली जाने वाली फीस एक रुपया होगी ।

31. कुर्क करने के लिये निवास गृह में प्रवेश करना:—जब कुर्क करने के प्रयोजनार्थ किसी निवास गृह में प्रवेश करना आवश्यक हो तो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 की धारा 62 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा ।

32. चलसंपत्ति के विक्रय के लिये अधिपत्र (Warrant) में दिये जाने वाले विवरण:—चलसंपत्ति के विक्रय के लिये प्रत्येक अधिपत्र में वह रकम बतनाई जायगी, जिसकी कि वसूली के लिये विक्रय की आज्ञा दी गई है और ऐसी अवधि जो निर्दिष्ट की जाय की समाप्ति के पश्चात् ऐसी रकम प्रदान करने की स्थिति में संपत्ति को बेचने की अपेक्षा की जायेगी ।

33. चलसंपत्ति के विक्रय का खर्चा:—चलसंपत्ति की प्रत्येक बिक्री का खर्चा, बकाया की रकम पर गणना करते हुये, जिसमें कुर्की के अधिपत्र का खर्चा भी शामिल होगा, जो कि बिक्री द्वारा वसूल किया जा सकेगा, एक रुपये पर 1 (एक रुपये के अंश न गिनते हुये) छः नये पैसे के हिसाब से वसूल करके पूरा किया जायेगा । बिक्री द्वारा ऐसी बकाया से अधिक वसूल की गई रकम, चूक करने वाले को दे दी जायेगी । और उम रकम में से निकाल दी जायेगी जिस पर बिक्री के खर्च की गणना की गई थी ।

34. चलसंपत्ति का विक्रय करने के लिये किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का खर्चा पूरा करने के लिये ली जाने वाली फीस:—किसी स्थान पर विक्रय का आयोजन करने के लिये जब कोई विक्रय अधिकारी जाता है और कोई विक्रय नहीं होता है तो प्रतिनियुक्ति का खर्चा पूरा करने के लिये ली जाने वाली फीस निम्न-लिखित पैमाने के अनुसार होगी:—

	रुपये	पैसे
जब वसूली की रकम 50) से अधिक न हो	1	50
जब ऐसी रकम 50) से अधिक हो परन्तु 1,000) से अधिक न हो	3	00
जब ऐसी रकम 1,000) रुपये से अधिक हो	6	00

35. नियम 34 के अधीन ली जाने वाली फीस, कोषागार (Treasury) में जमा करवाई जाय:— उपरोक्त नियम 34 के अधीन ली जाने वाली फीस कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय से होने वाली सहित, कोषागार में जमा कराई जायेगी।

घा—अधिनियम की धारा 230 के अधीन कुर्क किये गये पशुधन तथा अन्य चलसंपत्ति के संधारण तथा अभिरक्षा के लिये नियम

36. कुर्क किये गये पशुधन या अन्य चलसंपत्ति की अभिरक्षा:—जहां पशुधन या अन्य चलसंपत्ति कुर्क की गई है तो कुर्क करने वाला अधिकारी—

- यदि चूक करने वाला ऐसी प्रतिभूति दे देता है जो अधिकारी को पर्याप्त प्रतीत हो तो वह आज्ञा दे देगा कि उसे (पशुधन या चल संपत्ति को) चूक करने वाले की अभिरक्षा में छोड़ दिया जाय, या
- यदि चूक करने वाला ऐसी प्रतिभूति नहीं देता है और कोई सम्माननीय व्यक्ति, अभिरक्षा का भार अपने ऊपर लेने और जरूरत पड़ने पर पशुधन या अन्य चलसंपत्ति को पेश करने को तैयार हो तो, उमको ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में रहने देने के लिये आज्ञा देगा।

37. कुर्क की गई संपत्ति का विवरण दिया जाय:—कुर्क करने वाला अधिकारी, कुर्क की गई संपत्ति का संक्षिप्त विवरण—

- नियम 36 (ख) में निर्दिष्ट आज्ञा में,
- न्यायालय को दी जाने वाली कुर्की की रिपोर्ट में, दर्ज करेगा।

38. पशुधन को कांजी होस में पहुंचाना और अवेक्षकों (Caretakers) की नियुक्ति:—जहां नियम 36 के अधीन संपत्ति की अभिरक्षा के लिये कोई प्रबंध नहीं किये जा सकें तो कुर्क करने वाला अधिकारी—

- यदि वह पशुधन हो तो निकटतम कांजी होस में पहुंचायेगा।
- यदि वह अन्य चलसंपत्ति हो तो एक या अधिक अवेक्षक नियुक्त कर देगा।

39. कांजी होस-पाल द्वारा दर्ज किये जाने वाले विवरण:—जब पशुधन कांजी होस में पहुंचाया जाय तो कांजी होस-पाल—

- पशुधन की संख्या तथा वर्णन,

(ख) दिन तथा समय जब कि पशु-धन उसकी अभिरक्षा में पहुंचाया गया, और

(ग) कुर्क करने वाले अधिकारी का नाम, जिसने इस प्रकार (पशुधन) पहुंचाया है, रजिस्टर में दर्ज करेगा और कुर्क करने वाले अधिकारी को की गई प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि देगा।

40. कांजी होस-पाल पशुओं का प्रभार लेगा और उन्हें खिनायेगा:—कांजी होस-पाल उन समस्त पशुओं का प्रभार लेगा जिनका प्रभार उसको दिया जायगा और उन्हें ठीक तरह से खिनायगा व पानी पिलायेगा।

41. कांजी होस का प्रयोग करने के लिये वसूल किया जाने वाला भाड़ा:—(1) कैटल ट्रेसपास एक्ट, 1871 (केन्द्रीय अधिनियम सं० 1, सन् 1871) की धारा 12 के अधीन निर्धारित पैमाने के अनुसार, कांजी होस-पाल की अभिरक्षा में पहुंचाये गये प्रत्येक पशु के लिये पन्द्रह दिन की प्रत्येक अवधि या उसके अंशकाल के लिये जब तक कि अभिरक्षा जारी रहती है, कांजी होस के प्रयोग के लिये भाड़ा लिया जायेगा।

(2) इस प्रकार वसूल की गई रकम, उस स्थानीय प्राधिकारी जिसके द्वारा कांजी होस का संधारण किया जाता है की निधियों में आंकलित किये जाने के लिये कोषागार में भेज दी जायेगी या संबंधित कांजी होस को दे दी जावेगी।

(3) ऐसी समस्त रकमों उसी रीति से प्रयोग में लाई जावेगी जिस प्रकार कि कैटल ट्रेसपास एक्ट, 1871 की धारा 12 के अधीन वसूल किये जाने वाले जुर्माने प्रयोग में लाय जाते हैं।

(4) कांजी होस-पाल को भी उसकी अभिरक्षा में पहुंचाये गये किसी भी पशु को खिलाने व पानी पिलाने के लिये समुचित प्राधिकारी द्वारा कैटल द्वारा ट्रेसपास एक्ट, 1871 की धारा 5 के अधीन कांजी होस में रखे गये पशुओं को खिलाने के लिये व पानी पिलाने के लिये तत्प्रभय निश्चिन की गई दर पर भुगतान किया जायेगा।

42. कांजी होस-पाल की अभिरक्षा में पहुंचाये गये पशु को मुक्त करना:—कांजी होस-पाल की अभिरक्षा में पहुंचाये गये किसी पशु को, कुर्क की आज्ञा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा लिखित में कांजी होस-पाल को संबोधित आज्ञा के बिना, मुक्त नहीं किया जायेगा। पशु छोड़ने का निर्देश देने वाला अधिकारी इस बात का ध्यान रखेगा कि नियम 41 के अधीन वसूल किये जाने वाले सब खर्च कांजी होस-पाल को चुका दिये गये हैं।

43. विक्रय आदि के लिये पशु-धन तैयार करने का खर्चा और खिलाने का खर्चा:—विक्रय के लिये पशुधन को तैयार करने का, या उससे उस स्थान पर पहुंचाने का खर्चा जहां कि वह रखा या बेचा जायेगा, और कांजी होस-पाल की अभिरक्षा में रहने के दौरान में पशुओं को खिलाने का खर्चा, विक्रय से होने वाली आय में से देय होगा।

44. नियम 38 के अधीन नियुक्त अवेक्षक को दी जाने वाली रकम:—नियम 38 के खण्ड ख के अधीन नियुक्त किसी अवेक्षक को, यदि आवश्यक हो तो, एक दैनिक रकम दी जायेगी जो 25 नये पैसों से कम या 50 नये पैसों से अधिक नहीं होगी; परन्तु कुर्क की आज्ञा जारी करने वाला अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा, ऐसे कारणों के आधार पर जो स्पष्ट रूप से वर्णित किये जायेंगे और भी ऊंची दर मंजूर कर सकेगा।

45. पशु धन या अन्य चल संपत्ति को मुक्त करने से पहिले कुर्क तथा विक्रय के संबंध में देय खर्च जमा कराये जायेंगे:—जब कोई पशु धन या अन्य चल संपत्ति कुर्क से मुक्त की जाती है अथवा बेची जाती है तो कुर्क या विक्रय के संबंध में देय खर्च, कुर्क करने वाले अधिकारी द्वारा अथवा विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित किये जायेंगे तथा अभिलिखित किये जायेंगे और यथासंभव पशु धन या अन्य चल संपत्ति के मुक्त होने से पहिले, चुक करने वाले द्वारा के भुगतायी जाने वाली रकम में से या विक्रय की आय में से, यदि कोई हो, चुका दिये जायेंगे।

46. पशुधन को खिलाने के खर्चों, चुक करने वाले से भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल किये जायेंगे:—
यदि—

- (क) यह निर्णय दिया जाय कि पशुधन किसी दूसरे व्यक्ति का है जिसने कुर्की पर आपत्ति की या
- (ख) विक्रय की आय अपर्याप्त पाई जाय, या
- (ग) अन्य किसी कारण से खर्चों का भुगतान नहीं किया जा सके तो कुर्क करने वाला अधिकारी या विक्रय करने वाला अधिकारी इस बात की सूचना कुर्की या विक्रय की आज्ञा जारी करने वाले अधिकारी को देगा, जो अब तक वसूल किये जाने के लिये बे वे हुये मूल देयों, यदि कोई हों, के साथ साथ पशुधन को खिलाने के खर्चों सहित, अभी तक देय रहे समस्त खर्चों को चुक करने वाले से, भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल करने के लिये निर्देश देगा।

डा—भूमि की कुर्की तथा विक्रय

47. भूमि की कुर्की तथा विक्रय के लिये आदेशिका जारी करना:—जहाँ अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक हो, इस शीर्षक के अधीन आदेशिका, बोर्ड की पूर्व अनुमति से केवल कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी।

48. धारा 233 के अधीन उद्घोषणा (Proclaiming):—धारा 231 के अधीन जब कोई भूमि कुर्की की जाय तो धारा 233 के अधीन जारी की जाने वाली उद्घोषणा प्रपत्र 5 में होगी और उस गांव के, जिसमें कि भू-संपदा स्थित है, किसी महजगोचर स्थान में चिपकाई जायेगी और धारा 61 में बताई गई रीति से ढोल बजाकर विज्ञापित की जायेगी।

चा—भू-संपदा के हिस्से या पट्टी का हस्तांतरण

49. धारा 234 के अधीन हस्तांतरण या धारा 235 के अधीन भूमि के विक्रय पर नामान्तरण:—धारा 234 के अधीन जब कोई हस्तांतरण किया जाता है या धारा 235 के अधीन बेची जाती है तो कलेक्टर रजिस्ट्रारों में आवश्यक नामान्तरण किये जाने के लिये आज्ञायें जारी करेगा। ऐसे किसी नामान्तरण के संबंध में कोई शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।

50. कलेक्टर को धारा 234 के अधीन आदेशिका से बकाया की वसूली की संभावना के विषय में अपने आपको संतुष्ट कर लेना चाहिये:—धारा 234 के प्रावधानों का सहारा लेने से पूर्व कलेक्टर को, गांव की टिप्पणियों को देखकर तथा उसको उपलब्ध सूचना के अन्य स्रोतों से, अपने आपको संतुष्ट कर लेना चाहिये कि एक्ट द्वारा अनुमत 10 वर्ष की अवधि के भीतर, इस आदेशिका द्वारा बकाया के वसूल होने की उचित संभावना है। यदि वह इस प्रकार संतुष्ट नहीं है तो धारा 234 के अधीन हस्तांतरण नहीं किया जायेगा।

51. प्रस्तावित हस्तान्तरिती द्वारा बकाया के भुगतान के पश्चात् ही धारा 234 के अधीन प्रस्ताव रखे जायें:—(1) धारा 234 के अधीन हस्तान्तरण के लिये प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा तब तक नहीं रखे जायेंगे जब तक कि प्रस्तावित हस्तान्तरिती द्वारा देय बकाया नहीं चुका दी गई है। यदि हस्तान्तरण का प्रस्ताव मंजूर नहीं हो तो कलेक्टर की आज्ञा द्वारा इस प्रकार दी गई रकम लौटा दी जायेगी।

(2) हस्तान्तरण की उद्घोषणा प्रपत्र संख्या 6 में होगी।

52. हस्तान्तरण के प्रस्ताव को पेश करने के पश्चात् परन्तु उनके मंजूर होने से पहिले, चुक करने वाले से बकाया स्वीकार करना:—हस्तान्तरण का प्रस्ताव बाड को पेश करने के पश्चात् और उनकी मंजूरी प्राप्त होने के पहिले, यदि चुक करने वाला बकाया को चुकाने का प्रस्ताव करे तो कलेक्टर को भुगतान अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये और यदि देय समस्त बकाया चुका दी जाय तो वह हस्तान्तरण के प्रस्ताव को रद्द करने के लिये बोर्ड को रिपोर्ट कर देगा।

53. हस्तान्तरण की अवधि:—(1) धारा 234 के प्रावधानों के अधीन, हस्तान्तरण की अवधि ऐसी होगी जिससे कि, हस्तान्तरिणी, हस्तान्तरित हिस्से या पट्टी के लाभों में भे, शुद्ध संग्रहणों के नियम तथा प्रबन्ध (यदि कोई हो) के खर्चों के लिये उचित गुंजाइण छोड़ने के पश्चात्, बकाया के कारण चुकाई गई रकम को, उस पर उचित व्याज सहित वसूल कर सके।

(2) सह-हिस्सेदार या सह-हिस्सेदारों की जिसको या जिन्हें धारा 234 के अन्तर्गत हिस्सा या पट्टी हस्तान्तरित की गई है, प्रपत्र 7 में एक प्रनुबन्ध (Indenture) निष्पादित करना होगा तथा प्रपत्र 8 में एक प्रतिभूति बंध-पत्र (Security Bond) निष्पादित करना होगा।

छा—प्रचल सम्पत्ति का विक्रय

54. चूक करने वाले के किसी विशिष्ट क्षेत्र, पट्टी या भू-संपदा का विक्रय कब किया जाय:—(1) धारा 235 के अन्तर्गत विक्रय का सहारा केवल तब ही लिया जा सकता है जब उस अधिनियम की पूर्व की धाराओं में निर्दिष्ट आदेशिकायें बकाया की वसूली के लिये अपर्याप्त हैं।

(2) धारा 235 के अधीन विक्रय के लिये प्रस्ताव रखते हुए, कलक्टर इस बात का उल्लेख करेगा कि वार्षिक परिसंपत्ति (Assets) तथा वार्षिक मांग (Demand) कितनी होती है, और इस बात की रिपोर्ट करेगा कि क्या बकाया मूल करनिर्धारण (Original assessment) के अधिक होने के कारण या सम्पत्ति के खराब हो जाने के कारण है और यदि पश्चात्वर्ती कारण से है, तो क्या खराब होना कुप्रबन्ध के कारण है या ऐसे कारणों से है जो कि भू-सम्पदाधारी के काबू से बाहर है।

(3) धारा 237 के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिये प्रस्ताव केवल तब ही किशे जा सकते हैं जब कि वह भूमि, जिस पर कि बकाया हुई, बेच दी गई हो और विक्रय से हुई आय से बकाया पूर्णतया वसूल नहीं हुई हो।

(4) धारा 238 के अधीन जारी की जाने के लिये अपेक्षित विक्रय की उद्घोषणा वाले की लिखित सहमति के बिना कोई विक्रय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि, उद्घोषणा की प्रतिलिपि के तामील किशे जाने की तारीख से गणना करते हुए कम से कम तीस दिन समाप्त नहीं हो गये हों।

55. कलक्टर द्वारा बोली लगाना:—यदि किसी नीलाम के समय, उस बकाया की रकम तक की बोली नहीं लगाई जाती है, जिसके लिये विक्रय की आज्ञा दी गई है, तो कलक्टर, ऐसी बकाया तथा नीलाम की तारीख होने वाली संपूर्ण अन्य बकाया की कुल रकम तक की बोली लगा सकेगा :

किन्तु शर्त यह है कि जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि चूक करने वाले के पास अन्य कोई ऐसी संपत्ति है जिससे शेष वसूल किया जा सकता है तो कलक्टर पूरी बकाया से कम रकम में संपत्ति को खरीद सकेगा और फिर ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसी कि शेष को वसूल करने के लिये आवश्यक हो।

56. भूमि के विक्रय के लिये शुल्क की दरें:—विक्रय की जाने वाली अचल संपत्ति जब कोई भूमि हो तो प्रत्येक विक्रय के खर्चों के रूप में ऐसी रकम पर जो वसूल की जानी वाली कुल रकम से अधिक न हो तथा जो विक्रय द्वारा वसूल हो निम्नलिखित दरों पर शुल्क वसूल किया जावेगा:—

- (1) जहां ऐसी रकम 200) रु० से अधिक न हो तो प्रत्येक 100) रु० या 100) रुपयों से किसी अंश के लिये एक रुपये की दर पर होगा।
- (2) जहां ऐसी रकम 200) रुपयों से अधिक हो परन्तु 1,000) रुपयों से अधिक नहीं हो तो प्रथम 200) रुपयों के लिये 2) रुपये होगा और प्रथम 200) रुपयों से अधिक होने वाले प्रत्येक 100) रुपये या 100) रुपये के हिस्से के लिये 50) नये पैसे की दर पर होगा।
- (3) जहां ऐसी रकम 1,000) रुपयों से अधिक हो तो प्रथम 1,000) रुपयों के लिये 9) रुपये का शुल्क होगा और प्रथम 1,000) रुपयों से अधिक होने वाले प्रत्येक 500) रुपयों के लिये एक रुपये की दर पर होगा।

57. अचलसंपत्ति का विक्रय करने के लिये अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का खर्चा पूरा करने के लिये शुल्कों की दर:— जब विक्रय अधिकारी किसी स्थान पर विक्रय करने के लिये जाता है और कोई विक्रय नहीं होता है तो उसकी प्रतिनियुक्ति के खर्च की पूर्ति करने के लिये निम्नांकित दर के अनुसार शुल्क लिमा जायेगा:—

	₹०	नये पैसे
(1) जब वसूली की रकम 100) ₹० से अधिक	1	50
(2) जब ऐसी रकम 100) ₹० से अधिक हो परन्तु 1,000) ₹० से अधिक नहीं हो	3	00
(3) जब ऐसी रकम 1,000) ₹० से अधिक हो	6	00

आदेशिक शुल्क

58. आदेशिकाओं के रजिस्टर का प्रपत्र:— प्रपत्र संख्या 9 में प्रत्येक तहसील के लिये और कृषि वर्ष में जारी की गई प्रत्येक प्रकार की आदेशिका के लिये यह दिखाते हुए एक रजिस्टर रखा जायेगा (1) आदेशिका की क्रम संख्या, (2) भू-संपदा का नाम और (3) उन व्यक्तियों के नाम जिनके विरुद्ध, या जिनकी संपत्ति के विरुद्ध आदेशिका जारी की गई थी।

59. जारी की गई आदेशिकाओं का वार्षिक विवरण:— प्रत्येक प्रकार की उन आदेशिकाओं जिनका वर्ष के दौरान में सहारा लेना पड़ा, की संख्या तथा कुल मांग और प्राप्तियों को बताते हुए, प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट के साथ पेश करने के लिये, इस रजिस्टर से एक वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा।

60. आदेशिकाओं के कारण होने वाली प्राप्तियों और मांग की खतीनी में प्रविष्टि:— आदेशिकाओं के कारण होने वाली प्राप्तियों और मांग की खतीनी में प्रविष्टि की जायेगी।

61. आदेशिका शुल्कों के कारण कोषागार में होने वाली प्राप्तियों का ट्रेजरी आफिसर द्वारा प्रमाण:— इन नियमों के अन्तर्गत वसूल किये जाने वाले आदेश शुल्कों के कारण कोषागार में आने वाली प्राप्तियों की रकम को ट्रेजरी आफिसर द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। कोषागार की प्राप्तियाँ और विभागीय लेखों के बीच के किसी भी अन्तर का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है।

62. अतिरिक्त आदेशिका वाहकों (Process servers) के मासिक वेतन का संक्षिप्त विवरण:— जहाँ अतिरिक्त आदेशिका वाहक रखे जाय वहाँ तहसालदार द्वारा कलक्टर को प्रत्येक आदेशिका वाहक के संबंध में उन दिनों की संख्या, जिनके लिये वह नियोजित किया गया था उसकी दो गई रकम, भुगतान की तारीख और आदेशिका वाहक के हस्ताक्षर दिखाते हुए मासिक रूप से वेतन का एक संक्षिप्त विवरण भेजा जावेगा।

प्रपत्र संख्या 1

(नियम 24)

मांग का आदेश लेख (Writ of demand)

(राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 229 देखिये)

(1) क्रम संख्या	क्रम संख्या
(2) भू-संपदा	सेवा में,
(3) गांव	चूंकि, भू-संपदा-----गांव-----
(4) तहसील	तहसील-----की-----किशत के
(5) चुक करने वाले का नाम	कारण-----ह० की बकाया आय
(6) किशत तथा बकाया की रकम	के द्वारा देय है, इसलिये इस नोटिस की तामील की

- | | |
|--------------------------------|---|
| (7) जारी होने की तारीख | तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर तहसील-----में उसे |
| (8) आदेशिका वाहक का नाम | चुकाने के लिये आप से एतद्द्वारा अपेक्षा की जाती है। |
| (9) तामील की तारीख | आज दिनांक-----मास-----197-----को मेरे |
| (10) तामील की रिपोर्ट की तारीख | हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी किया |
| (11) विशेष विवरण | गया। |

मैं प्रमाणित करता हूँ कि लेखे का यह विवरण सही है।

तहसील रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर

मुद्रा

तहसीलदार के हस्ताक्षर

तहसीलदार के हस्ताक्षर

टिप्पणी:-नियम 29 (3) द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट आदेश लेख के पीछे की ओर दर्ज करनी चाहिये।

प्रपत्र संख्या 2

(नियम 24)

उपस्थित होने के लिये प्राह्वान (Citation to appear)

(राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 229 देखिये)

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) क्रम संख्या | क्रम संख्या |
| (2) भू-संपदा | सेवा में, |
| (3) गांव | चूंकि, भू-संपदा-----गांव-----तहसील----- |
| (4) तहसील | की-----किश्त के कारण-----र० की बकाया आपके द्वारा |
| (5) चुक करने वाले का नाम | देय है। इसलिये, यदि इस प्राह्वान के तलबाने सहित समस्त |
| (6) किश्त तथा बकाया की रकम | बकाया पहले नहीं चुकाये जाने की दशा में दिनांक----- |
| (7) जारी होने की तारीख | मास-----197-----को इस----- |
| (8) आदेशिका वाहक का नाम | न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आपसे |
| (9) तामील की तारीख | एतद्द्वारा अपेक्षा की जाती है। |
| (10) तामील की रिपोर्ट की तारीख | ध्यान रखिये कि उल्लिखित समय तथा स्थान पर यदि |
| (11) विशेष विवरण | आप उपस्थित नहीं होंगे तो संपत्ति की कुर्की तथा |
| | विक्रय का अधिपत्र जारी किया जा सकेगा। |
| | आज दिनांक-----मास-----197----- |
| | को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी |
| | किया गया। |

मैं प्रमाणित करता हूँ कि लेखे का यह विवरण सही है। (मुद्रा) तहसीलदार के हस्ताक्षर सही हैं।

तहसील रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर _____

तहसीलदार के हस्ताक्षर _____

टिप्पणी:-नियम 29(3) द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट प्राह्वान के पीछे की ओर दर्ज की जानी चाहिये।

प्रपत्र संख्या 3

(नियम 29)

चलसंपत्ति की कुर्की का अधिपत्र (Warrant)

(एक्ट संख्या 15; सन् 1956 की धारा 230 देखिये)

सेवा में,

(उस व्यक्ति का नाम तथा पद जिसको अधिपत्र का निष्पादन करना है)

चूंकि _____ के _____ ने, भू-राजस्व या लगान के कारण देय रकम के _____ रु० नहीं चुकाये हैं, इस लिये उक्त _____ की चल संपत्ति को कुर्क करने तथा जब तक उक्त _____ आपको _____ रु० की उक्त रकम, इस कुर्की के खर्चों के _____ रु० सहित, नहीं चुकाएँ तब तक न्यायालय की आगे कोई आज्ञायें मिलने तक उसे धारण करने का आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

आगे आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप इस अधिपत्र को, इस पर यह प्रमाण पृष्ठांकित करते हुये कि इस (अधिपत्र) का किस तारीख को और किस रीति से निष्पादन किया गया अथवा इसका निष्पादन क्यों नहीं किया गया, तारीख _____ 197 _____ को या इससे पूर्व लौटा दें।

आज दिनांक _____ मास _____ 197 _____ को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी किया गया।

मुद्रा

_____ कलक्टर अथवा डिविजनल सब-आफिसर

प्रपत्र संख्या 4

(नियम 29 व 54)

संपत्ति के विक्रय का अधिपत्र (Warrant)

(एक्ट संख्या 15; सन् 1956 की धारा 230 देखिये)

सेवा में,

(उस व्यक्ति का नाम तथा पद जिसे विक्रय का संचालन करना है)

इसके द्वारा आपको यह आदेश दिया जाता है कि न्यायालय भवन में विपका कर _____ दिन की पूर्व सूचना देने के पश्चात् तथा विक्रय की उद्घोषणा जो संलग्न है, की यथाविधि उद्घोषणा करने के पश्चात् वर्ष _____ (यहां भू-संपदा, गांव, तहसील और जिले का नाम दर्ज करिये जिसमें कि बकाया देय है) के कारण (यहां चूक करने वाले का, उसके पिता का नाम तथा जाति दर्ज करिये) _____ द्वारा देय राजस्व या लगान के लिये दिनांक _____ 19 _____ को इस न्यायालय द्वारा कुर्क की गई चलसंपत्ति भूमि या अन्य अवलसंपत्ति का नीलाम द्वारा विक्रय करें।

आगे आपको यह भी आदेश दिया जाता है कि आप इस अधिपत्र को, इस पर यह प्रमाण पृष्ठांकित करते हुये इस अधिपत्र का किस तारीख को और किस रीति से निष्पादन किया गया अथवा इसका निष्पादन क्यों नहीं किया गया तारीख—197—को या इससे पूर्व लौटा दें।

आज दिनांक—मास—197—को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी किया गया।

मुद्रा

कलक्टर अथवा सब-डिविजनल आफिसर

प्रपत्र संख्या 4

विक्रय की उद्घोषणा

(देखिये नियम 29 व 54)

कलक्टर—/सब-डिविजनल आफिसर—का न्यायालय।

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 (राजस्थान एक्ट 15 आफ 1956) की धारा 230/235/237 के अधीन, चूक करने वाले—आत्मज—निवासी—द्वारा देय राजस्व/लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा तथा विक्रय का खर्चा, जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई संपत्ति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है। विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों (लोट्स) में संपत्ति का विक्रय किया जायेगा।

स्थगन की किसी आज्ञा के अभाव में विक्रय—(अधिकारी का नाम बताया जाय) के द्वारा दिनांक (मास)—197—को—बजे में विक्रय का स्थान बताया जाय) किया जायेगा। तथापि किसी भी लोट की बोली खत्म होने से पहिले अनुसूची में निर्दिष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्चे दे दिये या चुका दिये जाने की दशा में विक्रय बंद कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता, या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उपरोक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय न्यायालय द्वारा पहिले से दी गई अनुमति के बिना, वैध होगा। विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं:—

(1) निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट व्योरे, न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिए गए हैं; परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि, गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) वह रकम, जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में, लोट को तुरन्त नीलाम के लिए फिर से रखा जायेगा।

(3) सब से ऊंची बोली लगाने वाला किसी भी लोट का खरीददार घोषित किया जायेगा किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि यह बोली लगाने के लिए वैधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि सबसे ऊंची बोली को मंजूर करने से इन्कार करना उस हालत में न्यायालय या विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।

(4) सर्वे कोड आफ सिविल प्रोसीजर के आर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन, अभिलिखित कारणों से, विक्रय को स्थगित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।

(5) चल संपत्ति की दशा में, प्रत्येक लोट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने के तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर संपत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा।

(6) (क) भूमि तथा अन्य अचलसंपत्ति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विक्रय में होने वाले खर्चों के लिये तथा पुनः विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिए उत्तरदायी होगा जो कि कलक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह राजस्व की बकाया हो।

(ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम, संपत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बंद होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रहवें दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि में, क्रय मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर, विक्रय की एक नई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् संपत्ति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात् जमा रकम, यदि न्यायालय उचित समझे तो सरकार के पक्ष में जम्मा की जा सकेगी और दोषी खरीददार संपत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिए वह फिर से बेची जाय समस्त हक खो बैठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय, ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो (उनका) अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायगा जैसे कि वह राजस्व की बकाया हो।

(7) (क) भूमि समस्त भारों () से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के संबंध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा पहले से की गई समस्त संविदायें, नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फैक्ट्रियों के निर्माण के लिये या बागों, तालाबों, नहरों, पूजा के स्थानों या शमशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये, अस्थायी या स्थायी वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो, ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा चुकने से पूर्व, किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि, उस भूमि के धारक द्वारा या ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके माफत वह (भूमिधारक) अधिकार रखने का दावा रखता है, उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाय, जैसाकि सरकार उचित समझे।

अनुसूची

वसूल की जाने वाली रकम

(1) राजस्व या लगान की देय रकम----- रुपये।

- (2) कुर्की का खर्चा -----
- (3) विक्रय का या, यदि संपत्ति नीलाम नहीं की गई है तो जमीन की प्रति-
नियुक्ति का खर्चा----- ।

योग-----

बेची जाने वाली संपत्ति

समूहों (लोटों की संख्या)	बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण	राजस्थान एक्ट 15, सन् 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्व	भूमिधारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मार्फत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो, उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण (तुलनार्थ देखिये राजस्थान एक्ट 15 ग्राफ 1956 की धारा 236 की उप-धारा (3)	दावे यदि कोई हों, जो कि संपत्ति के संबंध में रखे गये हों और उसकी किस्म तथा मूल्य के संबंध में कोई भी अन्य बात का विवरण
1	2	3	4	5

भाज दिनांक-----197-----को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई ।

मुद्रा

कलेक्टर/सब-डिविजनल आफिसर

प्रपत्र संख्या 5

(देखिये नियम 49)

कलेक्टर -----सब-डिविजनल आफिसर-----का न्यायालय ।

(एक्ट संख्या 15, सन् 1956 की धारा 231 और 233 के अन्तर्गत कुर्की की उद्घोषणा)

(देखिये नियम 29)

चूंकि ----- रु० की रकम राजस्व/लगान की बकाया के रूप में ----- (1) द्वारा देय है जिसने कि उसका भुगतान नहीं किया है ।

और चूंकि पूर्वोक्त बकाया ————— (2) के संबंध में देय है ।

अतएव राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956) की धारा 231 के अन्तर्गत उक्त क्षेत्रफल/पट्टी/भू-संपदा, एतद्वारा कुर्क की जाती है और इस न्यायालय द्वारा आगे अन्य कोई आज्ञा दी जाने तक उक्त ————— को, उक्त क्षेत्र/पट्टी/भू-संपदा को विक्रय, परिदान () या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने या प्रभारित करने के लिये एतद्वारा, निषेध किया जाता है तथा रोका जाता है, और समस्त व्यक्तियों को उसे क्रय, परिदान या अन्य प्रकार से प्राप्त करने के लिये एतद्वारा निषेध होगा तथा निषेध किया जाता है और एतद्वारा नोटिस भी दिया जाता है कि कलक्टर के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को इस उद्घोषणा की तारीख के पश्चात् या इस तारीख की प्रत्याक्षा में, भूमि के लगान या किसी अन्य लाभ के कारण किया गया भुगतान करने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति को, कलक्टर को भुगतान करने की जिम्मेदारी से अवमुक्त नहीं करेगा ।

आज दिनांक ————— को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई :

—————के कलक्टर

—————के सब-डिविजनल ऑफिसर

- (1) यहां भुगतान न करने वाले का नाम तथा पता निविष्ट करिये ।
- (2) यहां उस निविष्ट क्षेत्र, हिस्से, पट्टे या भू-संपदा का विवरण निविष्ट करिये जिसके संबंध में बकाया देय है ।

प्रपत्र संख्या 6

(देखिये नियम 51)

(एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 234 के अधीन हस्तान्तरण के मामलों में उद्घोषणा)

चूंकि, एक्ट संख्या 15, सन् 1956 की धारा 234 के अधीन [यहां भू-संपदाधारी (या भू-संपदाधारियों) का (के) नाम (या नामों) सहित, हस्तान्तरित हिस्से (या हिस्सों) का पूरा विवरण दीजिये] (1 जुलाई ————— 197————— से) ————— वर्ष की अवधि के लिये ————— को, जो कि उक्त भू-संपदा का (के) हिस्सेदार है (या है) जैसी भी स्थिति हो हस्तान्तरित कर दिया गया, इसलिये हस्तान्तरण के इस तथ्य की सूचना एतद्वारा, समस्त संबंधित व्यक्तियों को दी जाती है । ऐसा हस्तान्तरण उक्त भू-संपदा के सह-हिस्सेदारों के संयुक्त तथा प्रथक प्रथक दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा ।

दिनांक ————— मास ————— 19—————

मुद्रा

—————
कलक्टर

प्रपत्र संख्या 7

(देखिये नियम 53)

पट्टे का प्रपत्र

यह अनुबंध दिनांक ————— मास ————— को, एक ओर राजस्थान राज्य के राज्यपाल [जिसको इसमें एतत्पश्चात् पट्टादाता कहा (जायेगा) और दूसरी ओर क ख आत्मज ग घ] जाति ————— निवासी ————— के (जिसको इसमें एतत्पश्चात् पट्टाधारी कहा जायेगा) किया गया है ।

चूँकि _____ द्वारा _____ रु० की रकम _____ के हिस्से या पट्टी, भू-संपदा _____ गाँव _____ तहसील _____ जिला _____ के संबंध में राजस्व की बकाया के रूप में देय है।

और चूँकि पट्टाधारी ने हिस्से/पट्टी _____ भू-संपदा _____ के हस्तान्तरण के लिये आवेदन किया है और पट्टादाता ने, उक्त सम्पत्ति इसमें एतत्पश्चात् बतलाई गई अवधि तथा जर्नो पर उसको पट्टान्तरण करने के लिये सहमति दे दी है जिसकी कि रेवेन्यू बोर्ड की आज्ञा संख्या _____ दिनांक _____ द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है।

अब यह अनुबंध इस बात का साक्ष्य है कि, इन लेखों (_____) के निष्पादन पर या पहिले पट्टाधारी द्वारा पट्टादाता को दी गई _____ रु० की रकम जिसकी कि प्राप्ति पट्टादाता मंजूर करता है के, तथा एतत्पश्चात् आरक्षित रकम के, तथा एतत्पश्चात् इसमें निहित पट्टाधारी द्वारा किये गये प्रसंविदा (_____) के प्रतिकूल (_____) में, पट्टादाता, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 (राजस्थान एक्ट 15 आफ 1956) की धारा 234 के प्रावधानों के अधीन, उक्त सम्पूर्ण हिस्सा/पट्टी _____ भू-संपदा _____ गाँव _____ जो कि तहसील _____ जिला _____ में स्थित है, पट्टाधारी को _____ वर्ष की अवधि के लिये, दैनिक _____ मास _____ में उक्त अवधि के दौरान में उसके लिये _____ रु० वार्षिक लगान के देते हुये और भुगतान करते हुये उसे धारा करने के लिये एतद्द्वारा, पट्टान्तरित करता है उक्त वार्षिक लगान तहसीलदार के कार्यालय में, या ऐसे अन्य स्थान पर, जिसे कि पट्टादाता समय समय नियुक्त करें, निम्नलिखित अर्थात् _____ किस्तों में देय होगा इसके अतिरिक्त समस्त उप-कर तथा स्थानीय कर जो कि अभी अथवा एतत्पश्चात् उक्त संपत्ति के संबंध में वैधिक रूप से मांगे जाने योग्य हों, देने होंगे।

और पट्टाधारी, एतद्द्वारा, पट्टादाता से संश्राव (_____) करता है वह पट्टाधारी, उक्त अवधि के दरम्यान, पूर्वोक्त दिनों की तथा रीति से, पूर्वोक्त समस्त उप-करों तथा स्थानीय करों के अतिरिक्त उक्त लगान देगा।

और पट्टाधारी की लिखित स्वीकृति के बिना, इन लेखों के अधीन, उक्त संपत्ति के या उसके किसी भाग में अपने अधिकार तथा हित उप-पट्टे पर, या अन्यथा हस्तान्तरित नहीं करेगा।

और उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके जल्दी समाप्त कर दिये जाने पर उक्त संपत्ति पट्टादाता या उसके एजेन्ट को सौंप देगा।

और पट्टादाता को लिखित स्वीकृति के बिना, उक्त संपत्ति में भूमिधारण या अभिधारण करने वाले आसामियों (_____) की बेदखली के लिये, ऐसे किन्हीं भी आसामियों के विरुद्ध डिक्री हुये लगान की बकाया न भुगतान के कारण के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से कोई कार्यवाही दायर नहीं करेगा।

और पट्टादाता की लिखित स्वीकृति के बिना ऐसे किन्हीं भी आसामियों के लगान की वृद्धि के लिये कोई कार्यवाही दायर नहीं करेगा।

और इन लेखों के निष्पादन से _____ दिनों के भीतर एतद्द्वारा आरक्षित लगान के यथावत भुगतान को प्रतिभूत (_____) करने के लिये उस (संपूर्ण या बंधक रखी गई संपत्ति का वर्णन करिये) को, पट्टादाता के पक्ष में वैध रूप से बंधक रखेगा और (बंधक का) निष्पादन करेगा।

और (उक्त बंधक द्वारा पैदा की गई) (उक्त) प्रतिभूति के अर्थात् हो जाने की दशा में, पट्टादाता या उसके एजेन्ट से उसका नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के अन्दर अन्दर ऐसी संपत्ति को और वैध रूप से बंधक रखेगा तथा (बंधक का) निष्पादन करेगा जो कि पट्टादाता के विचार में, एतद्द्वारा आरक्षित लगान के यथावत् भुगतान के लिये पर्याप्त प्रतिभूति हो।

किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि यदि और जब कभी उक्त लगान का कोई भी भाग ————— दिनों के लिये बकाया रहेगा, चाहे वैधिक रूप से उसकी मांग की गई हो अथवा नहीं, या इसमें निहित किसी भी संश्राव () का पट्टाधारी द्वारा उल्लंघन होगा तो पट्टादाता उक्त संपत्ति में या उसके किसी भी भाग पर, सम्पूर्ण के नाम पर, पुनः अधिकार कर सकेगा और तदुपरान्त उक्त अवधि पूर्णरूप से तुरन्त समाप्त हो जायेगी ।

और पट्टादाता, पट्टाधारी के साथ एतद्द्वारा, संश्राव करता है कि पट्टाधारी इसमें निहित पट्टाधारी द्वारा किये गये समस्त संश्रावों को पूरा करते हुये तथा उनका पालन करते हुये पट्टादाता द्वारा या उसके मार्फत अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी विघ्न पहुंचाये बिना उक्त अवधि के दौरान उक्त संपत्ति को शांतिपूर्वक धारण कर सकेगा तथा उसका उपभोग कर सकेगा बशर्ते कि पट्टाधारी तब तक जीवित रहे ।

किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि ————— वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व पट्टाधारी के मरने तथा कोई उत्तराधिकारी छोड़ने की दशा में, उक्त उत्तराधिकारी ————— जिले के कलेक्टर की स्पष्ट अनुमति से, और अन्यथा नहीं, उक्त अवधि के बाकी बचे काल के लिये, इसमें एतत्पूर्ण वगित समस्त संश्रावों तथा शर्तों के अधीन, उक्त संपत्ति को धारण कर सकेगा ।

जिसके साक्ष्य में, इसके पक्षकारों ने ऊपर लिखित दिन तथा वर्ष को, अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

पट्टाधारी द्वारा हस्तान्तरित

पट्टादाता के लिये तथा उमकी ओर से —————
द्वारा हस्तान्तरित

दिनांक:—————

पद:—————

दिनांक:—————

साक्षी:—————

(1)—————

(1)—————

(2)—————

(2)—————

प्रपत्र संख्या 8

(देखिये नियम 53)

प्रतिभूति बंधक का प्रपत्र

चूंकि, दिनांक ————— मास ————— को, एक ओर राजस्थान राज्य के राज्यपाल और दूसरी ओर ————— आत्मज ————— निवासी ————— (जिसको इसमें एतदपश्चात् पट्टाधारी कहा गया है) के मध्य निष्पादित एक पट्टे द्वारा ————— हिस्सा/पट्टी ————— भू-सम्पदा ————— गांव ————— जो कि तहसील ————— जिला ————— स्थित है, उक्त राज्यपाल द्वारा उक्त पट्टाधारी को, उसमें उल्लेखित अवधि के लिये और शर्तों पर, पट्टान्तरित की गई थी, और पट्टे की शर्तों में एक यह भी शर्त थी कि पट्टाधारी उसके निष्पादन के ————— दिन के भीतर, उसके द्वारा आरक्षित ————— रु० के वार्षिक लगान के भुगतान के लिये संश्राव () के पालन के लिये उपयुक्त तथा पर्याप्त प्रतिभूति पेश करेगा ।

और चूंकि, पट्टाधारी द्वारा प्रार्थना करने पर मैं ऐसी प्रतिभूति देने के लिये सहमत हूँ, अतएव अब मैं, ~~आत्मज~~ ~~निवासी~~ अपने लिये, अपने उत्तराधि-
कारियों, निष्पादकों, प्रशासकों एवं अभिहस्तांकितियों के लिये राज्यपाल के साथ एतद्द्वारा संश्राव करता हूँ कि उक्त पट्टे में प्रावहित समयों पर तथा रीति से उक्त संपूर्ण वार्षिक लगान का या उसके किसी भी भाग को चुकाने में उक्त पट्टाधारी या उसके उत्तराधिकारी के विफल रहने की दशा में ~~जिले के~~ कलक्टर को, मैं उक्त वार्षिक लगान या उसका ऐसा भाग जो अदत्त रहेगा भुगतान के लिये पट्टे द्वारा निश्चित की गई तारीख से पूरी वसूली होने तक उस पर ~~रु० प्रतिशत, प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित~~ चुकाऊंगा ।

और, इसमें एतत्पूर्व निहित संश्राव के, मेरी ओर से यथावत पालन की प्रतिभूति के रूप में मैं, (संपत्ति का वर्णन) जिसका इसके साथ संलग्न अनुसूची में और विशेषरूप से वर्णन किया गया है, जो कि मेरे कब्जे में है और जिसका कि मैं एक मात्र स्वामी हूँ, मैं मेरे जो अधिकार, स्वत्व, तथा हित है वे सब बंधक के रूप में उक्त राज्यपाल उसके पद पर आने वाले उसके उत्तराधिकारियों तथा उनके अभिहस्तांकितियों को एतद्द्वारा अभि-
हस्तांकित करता हूँ ।

और एतद्द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की जाती है और यह घोषणा की जाती है कि, इसमें एतत्पूर्व निहित संश्राव को मेरी ओर से यदि और जब कभी भी पालन न किया जाय तो, उक्त राज्यपाल ~~इन~~ लेखों के अधीन मुझ में बकाया खाम को वसूल करने के प्रयोजनार्थ, तत्समय प्रभावशील किसी अन्य अधि-
नियमिति द्वारा प्रावहित किसी उपाय को काम में लाने के साथ साथ ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट, 1882 द्वारा जैसा प्रावहित है उसके अनुसार, साधारण बंधक प्रहीता को उपलब्ध होने वाले समस्त या किसी भी एक उपाय को, एतद्द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति के विरुद्ध काम में लाने का हकदार होगा ।

अनुसूची

जिसके साक्ष्य में मैंने इस पर उपरोक्त दिन व वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

द्वारा हस्ताक्षर किये गये

दिनांक:-----

इन साक्षियों की उपस्थिति में:—

(1) -----

(2) -----

प्रपत्र संख्या 9

(देखिये नियम 58)

कृषि वर्ष _____ 197_____ 197_____ के दौरान जारी की गई [यहां उन
 आदेशिकाओं () का वर्णन दर्ज करिये जिनके लिये रजिस्टर रखा जाता है]
 का रजिस्टर

तहसील _____

जिला _____

क्र० सं०	भू-संपदा का नाम	उस व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्ध या जिसकी संपत्ति के विरुद्ध आदेशिका जारी की गई थी	आदेशिका शुल्क (यदि कोई हो)			
			देय	वसूल हुआ	शेष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

भूमि एकीकरण शुल्क तालिका

खंड (क)	खंड (ख)	खंड (ग)	खंड (घ)	खंड (ङ)
दर 2.50 रुपया प्रति एकड़ 1	दर 2.00 रुपया प्रति एकड़ 2	दर 1.50 रुपया प्रति एकड़ 3	दर 1.00 रुपया प्रति एकड़ 4	दर 0.50 पैसा प्रति एकड़ 5
1. गंगनहर, भाकरा, चम्बल, जवाई अथवा राजस्थान नहर कमांड में आने वाले क्षेत्र।	1 जिला अलवर (तहसीलें) 1 अलवर 2 बान्सुर 3 बहरोर 4 लक्ष्मणगढ़ 5 राजगढ़ 6 थानागार्जी 7 किशनगढ़ 8 मन्डावर 9 तिजारा	13 जिला सिरोही (तहसीलें) 1 सिरोही 2 शिवगज 3 आबूरोड 4 पिन्डवाड़ा 5 रेवदर		17 जिला नागौर (तहसीलें) 1 डोडवाना 2 लाडनू 3 डेगाना 4 मेड़ता 5 जायल 6 नागौर 7 नावा 8 परबतसर
2. राजस्थान के किसी जिले का अन्य क्षेत्र जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सिंचाई परियोजना घोषित की हुई है या की जाय कमांड में आने वाला।	2 जिला भरतपुर (तहसीलें) 1 बयाना 2 रूपवास 3 बैर 4 भरतपुर 5 नदबई 6 डीग 7 कामा	14 जिला टोंक (तहसीलें) 1 नालपुरा 2 उनयारा 3 टोडारामनिह	14 जिला टोंक (तहसीलें) 1 टोंक 2 देवली 3 तिवाई	18 जिला जैसलमेर (तहसीलें) 1 जैसलमेर 2 रामगढ़ 3 सम 4 नाचना 5 पोकरन

- 8 नगर
- 9 बारी
- 10 बसेरी
- 11 धौलपुर
- 12 राजखेड़ा

9 जिला चित्तौड़गढ़ (तहसीलें)

- 1 बैंग
- 2 चित्तौड़गढ़
- 3 गंगराल
- 4 रागभी
- 5 कपासिन
- 6 बड़ीसादड़ी
- 7 भदेसर
- 8 छोटी सादड़ी
- 9 डूंगला
- 10 निम्बाहेड़ा
- 11 प्रतापगढ़

10 जिला भीलवाड़ा (तहसीलें)

- 1 भीलावाड़ा
 - 2 माण्डल
 - 3 आसिद
 - 4 सहाड़ा
 - 5 हरडा
 - 6 कोटरी
 - 7 माण्डलगढ़
 - 8 शाहपुर
 - 9 जहाजपुर
-

1

2

3

4

5

11 जिला सवाई माधोपुर (तहसीलें) जिला सवाई माधोपुर (तहसीलें)

- 1 बामनवास
- 2 गंगापुर
- 3 नादौती
- 4 हिण्डौन

- 1 खण्डार
- 2 करौली
- 3 सपोटरा

6 जिला उदयपुर (तहसीलें)

- 1 भीम
- 2 देवगढ़
- 3 कोटरा
- 4 फलासिया
- 5 ग्रामेट
- 6 कुम्भलगढ़
- 7 रेलमगरा
- 8 राजसमन्द
- 9 खेरवाड़ा
- 10 सलूम्वर
- 11 सराडा
- 12 उदयपुर
- 13 नाथदारा
- 14 लसाडिया
- 15 मावली
- 16 बल्लभनगर
- 17 सैरा

23 जिला जालोर (तहसीलें)

- 1 जसवन्तपुरा
- 2 सांचोर
- 3 आहोर
- 4 जालोर

जिला सीकर (तहसीलें)

- 1 नीम-का-थाना

24 जिला सीकर (तहसीलें)

- 1 फतेहपुर
- 2 लक्ष्मणगढ़
- 3 दांता रामगढ़
- 4 सीकर
- 5 श्रीमाधोपुर

जिला मुन्डुनू (तहसीलें)

25 जिला मुन्डुनू (तहसीलें)

7 जिला बांसवाड़ा (तहसीलें)

- 1 बांसवाड़ा
- 2 गढ़ी
- 3 घाटोल
- 4 बागीडोरा
- 5 कुशलगढ़

8 जिला डूंगरपुर (तहसीलें)

- 1 आसपुर
- 2 डूंगरपुर
- 3 सागवाड़ा

3 जिला कोटा (तहसीलें)

- 1 बारां
- 2 किशनगंज
- 3 मांगरोल
- 4 शाहबाद
- 5 अटरू
- 6 छबड़ा
- 7 छीपाबड़ोद
- 8 रामगंजमन्डी
- 9 सांगोद
- 10 दीगोद
- 11 लाडपुरा
- 12 पीपल्दा

- 1 खेतड़ी
- 2 उदयपुरवाटी

- 1 झुन्झुनू
- 2 चिड़ावा

26 जिला गंगानगर (तहसीलें)

- 1 गंगानगर
- 2 सूरतगढ़
- 3 करनपुर
- 4 पदमपुर
- 5 भादरा
- 6 नोहर
- 7 अनूपगढ़
- 8 रायसिंहनगर
- 9 हनुमानगढ़

19 जिला बीकानेर (तहसीलें)

- 1 बीकानेर
- 2 लूणकरणसर
- 3 मगरा (कोलायत)
- 4 नोखा

20 जिला चूरू (तहसीलें)

- 1 चूरू
- 2 राजगढ़
- 3 तारानगर
- 4 डूंगरगढ़
- 5 रतनगढ़

4 जिला बूंदी (तहसीलें)

- 1 बूंदी
- 2 पाटन
- 3 हिन्दोली
- 4 नैतवा

5 जिला झालावाड़ (तहसीलें)

- 1 नंगद्वार
- 2 झालरापाटन
- 3 पचपहाड़
- 4 पिडावा
- 5 खानपुर
- 6 अकलेरा

- 5 सडवा
- 6 टोडाभीम
- 7 मवाई माघोपुर
- 8 बोली (मालराना)

- 6 सरदारशहर
- 7 मुजानगढ़

- 1 जिला बाड़मेर (तहसीलें)

- 1 पचपदरा
- 2 सिवाना
- 3 बाड़मेर
- 4 चोहटन
- 5 शिव

22 जिला जोधपुर (तहसीलें)

- 1 बिलाड़ा
- 2 जोधपुर
- 3 शेरागढ़
- 4 ओसियां
- 5 फलोदी

12 जिला अजमेर(तहसीलें)

- 1 केकड़ी
- 2 सरवाड़

जिला अजमेर (तहसीलें)

- 1 ब्यावर

जिला अजमेर(तहसीलें)

- 1 अजमेर
- 2 किशनगढ़

15 जिला जयपुर (तहसीलें)

- 1 दीसा
- 2 सिकराय
- 3 डूह
- 4 बैराठ

जिला जयपुर(तहसीलें)

- 1 आमेर
- 2 जमवारामगढ़
- 3 बसवा (बान्दीकुई)
- 4 लालसोट
- 5 बस्ती
- 6 चाकसू
- 7 जयपुर
- 8 सांगानेर
- 9 कोटपुतली
- 10 फागी
- 11 फुलेरा (साम्भर)

16 जिला पाली (तहसीलें)

- 1 पाली
- 2 देमुरी

जिला पाली (तहसीलें)

- 1 जैतारण
- 2 रायपुर
- 3 पाली
- 4 खारची
- 5 सोजत

(See para 42)

THE RAJASTHAN LAND REVENUE (SURCHARGE) ACT, 1960**(Act No. 16 of 1960)***An Act to provide for the levy of Surcharge on land revenue in the State of Rajasthan*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Eleventh year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title, extent and commencement:*—(1) This Act may be called the Rajasthan Land Revenue (Surcharge) Act, 1960.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. *Definitions:*— In this Act unless the subject or context otherwise requires —

(1) "Chahi land" shall mean land irrigated from the waters of a well and recorded as such in the assessment parcha and the current annual registers;

(2) "land revenue" shall have the meaning assigned to the term "revenue" by clause (34) of section 5 of the Rajasthan Tenancy Act, 1958 (Rajasthan Act 3 of 1955) and shall include rent as defined in clause (32) of the said section of the said Act and payable directly to the State Government but shall not include assigned land revenue; and

(3) words and expressions defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) and the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) shall, wherever used herein be construed to have the meaning assigned to them by those Acts.

3. *Levy of Surcharge.*— 2[(1) There shall be levied by the State Government on each instalment of land revenue payable on or after the first day of April, 1963, a surcharge calculated at the rates specified below, namely:—

<u>Amount of land revenue</u>	<u>Rate of surcharge</u>
(a) Where the amount of land revenue payable is less than rupees 3[Seventy-five] per annum.	Nil
(b) Where the amount of land revenue payable is rupees 3[Seventy-five] or more but less than rupees two hundred and fifty.	25 naya paisa per rupee on the total amount of land revenue.
(c) Where the amount of land revenue payable is rupees two hundred and fifty per annum or more.	50 naya paisa per rupee on the total amount of land revenue.

1. Published in Rajasthan Rajpatra, Extraordinary, Part IV-A, dated 26th April, 1960.

2. Substituted by Act 11 of 1963.

3. Substituted by Act 17 of 1964, section 2.

Comment

This Act came into force on 29th April, 1960.

Provided that nothing contained in this section shall apply to any holding the area of which does not exceed ten acres:

Provided further that in the case of Chahi land only one third of the land revenue payable thereon shall be taken into account for the purpose of calculating the total land revenue on which surcharge shall be levied:]

[Provided also that surcharge shall not be levied on the land revenue payable by the Gram Sabha established under section 8 of the Rajasthan Gramdan Act, 1960 (Rajasthan Gramdan Act, 1960) (Rajasthan Act 3 of 1960) in respect of Gramdan lands vesting in such Sabhas.]

(2) Where a holding is held by more tenants than one and separate defined shares of all or any of the co-tenants have been recorded in assessment parchas issued during the course of settlement though no actual physical partition has taken place, the amount of land revenue payable by each such co-tenant or the area of his share of the holdings in proportion to his recorded share in the holding shall, notwithstanding anything contained in sub-section (1) be taken into consideration for purpose of—

- (a) allowing exemption under item (a) of the table given in sub-section (1) or the first proviso to that sub-section, as the case may be, or
- (b) determining the rates of surcharge applicable thereto, and
- (c) calculating the amount surcharge payable,

as if such share had been separated by metes and bounds and rent had been distributed over the several portions so separated in accordance with the provisions contained in section 53 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) :

Provided that any such calculation shall be without prejudice to the joint and several liability of the co-tenants to pay the sum total of surcharge calculated as aforesaid on the total amount of land revenue payable in respect of such holding or anything contained in section 224 and sub-section (5) of section 225 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

4. *Determination of surcharge*.—The Tehsiladar shall every year determine the amount of the surcharge payable by every person after making such inquiry, if any, as he considers necessary and such amount shall be paid along with and in addition to each instalment of land revenue in the same proportion as such instalment bears to the total demand of land revenue for the year.

5. *Surcharge recoverable under Chapter X of Rajasthan Act 15 of 1956*.—For the collection and recovery of the amount of surcharge payable under this Act, the provisions of Chapter X of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) and the rules made thereunder shall apply.

6. *Power to make rules*.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may make provision for—

- (a) the furnishing of information required for the purposes of this Act;

- (b) the production of documents; and
- (c) the holding of inquiries and the enforcement of the attendance of persons at such inquiries and their examination on oath or affirmation.

(3) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before, the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if, before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

7. *Power to remove difficulties.*—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, make such provisions, not inconsistent with the purposes of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing such difficulty.

Comment

Rules made under this Act require the sanction of State Legislature.]

APPENDIX 10

(See para 42)

THE RAJASTHAN LAND REVENUE (SURCHARGE) RULES, 1960

No. P. 6(60)Rev.B/60, dated 23rd April, 1960.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Rajasthan Land Revenue (Surcharge) Act, 1960 (Rajasthan Act 16 of 1960), the State Government does hereby make the following rules, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Surcharge) Rules, 1960.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 26th of April, 1960.

2. *Interpretations.*—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:—

(1) "The Act" shall mean the Rajasthan Land Revenue (Surcharge) Act, 1960.

(2) Words and expressions, defined in the Act, or the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) or the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956), wherever used therein, shall be construed to have the meanings assigned to them by those Acts.

3. *Determination of surcharge.*—(1) Immediately on the commencement of the Rajasthan Land Revenue (Surcharge) (Amendment) Act, 1963 (Rajasthan Act 11 of 1963), every Tehsildar shall cause to be prepared, on the basis of—

- (i) Jamabandi (Khewat Khatauni) Form No. P-26 of the forms appended to the Rajasthan Land Revenue (Land Records) Rules, 1957, as published under Government Notification No. P.6(69)Rev. B/57, dated 8th October, 1957, in Part IV-C of the Rajasthan Gazette, dated 23rd January, 1958, for the current year;
- (ii) the latest Khasra girdawari (Form No. P-13 appended to the said rules);
- (iii) the dhal-banch for the current year (Form No. P-30 appended to the said rules); and
- (iv) any other record;

a villagewise statement in the form appended to these rules (columns 1 to 10) of all estate-holders and tenants in the tehsil by whom any instalment of land revenue, as defined in the Act, is payable on or after the first day of April, 1963.

(2) The Tehsildar shall thereafter determine—

- (i) the estate-holders and tenants the area of whose holding does not exceed ten acres and who are not liable to pay the surcharge by virtue of the proviso to sub-section (1) of the substituted section 3 of the Act;
- (ii) the estate-holders and tenants who come under item (a) of the table given in the said substituted section 3;
- (iii) the amount of surcharge payable by each of the estate-holders and tenant mentioned in items (b) and (c) of the said table; and

- (iv) complete accordingly columns 11 to 13 of the statement in the form appended to these rules and record the date of determination and the order of realisation of the surcharge in column 14.

4. *Enquiry where necessary, how to be conducted.*— If, for the purpose of determining the amount of surcharge payable by any person, the Tehsildar finds it necessary to summon him, or to require him to produce any document such as assessment parcha, the Tehsildar may make use of the powers conferred on him by section 57 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, and the other provisions of the said Act about the service of summons and notices shall thereupon apply.

5. *Realisation of surcharge.*—(1) After satisfying himself as to the correctness of the calculations and of the entries made in columns 1 to 14 of the statement prepared in accordance with the provisions of rule 3, the Tehsildar shall direct the patwari concerned to—

- (i) enter the words "surcharge on land revenue" in column 8 and the amount thereof in column 9 of the dhal-banch of the village,
- (ii) correct the banch paper in accordance with the provisions of para 104 of the Rajasthan Land Revenue (Land Records) Rules, and
- (iii) obtain the demand slips from the persons concerned and enter the name of the new demand, viz. "surcharge on land revenue" together with its amount in column 5 of the demand slip (Form No. P-31 of the Land Records Forms) or issue fresh demand slips for the surcharge to the persons concerned.

(2) The Tehsildar shall also direct the patwari [×××] concerned to realise the surcharge along with and in addition to the instalment of land revenue in the same proportion as such instalment bears to the total demand of the land revenue for the year.

(3) The surcharge collected shall be shown in column 18 of the dhal-banch and columns 9 and 10 of the siyaha of the village (Form No. P-32 of the Land Records Forms).

(4) The surcharge shall be deposited in the tehsil sub-treasury along with the instalment of land revenue. A separate arzirsal (Form No. P-34 of the Land Records Forms) need not be used for depositing the amount of surcharge which may be mentioned separately at Sl. No. 5 of the first column of the arzirsal for the instalment of land revenue. Separate receipts for the surcharge need not be issued but the amount of surcharge may be mentioned specifically in the receipt, in Form P-33 of the Land Records Forms to be issued for the instalment of land revenue itself.

(5) When the amount of surcharge has been collected, columns 15 to 20 of the statement prescribed by rule 3 shall be completed.

6. *Determination of surcharge for future years.*—(1) Simultaneously with the preparation of the dhal-banch of the village in accordance with para 104 of the Rajasthan Land Revenue (Land Records) Rules, 1957, the Tehsildar shall direct the patwari to enter the amount of surcharge, as already determined, in the banch paper (Form No. P-30) appended to the said rules and include the amount of demand on account of surcharge in the demand slips to be prepared in Form No. P-31 appended to the said rules.

(2) A fresh statement of surcharge in the form appended to these rules shall be prepared for each revenue year.

7. *Arrears of surcharges.*—(1) The surcharge under the Act being payable alongwith and in addition to each instalment of land revenue in the same proportion as such instalment bears to the total demand of land revenue, there will be no arrears of surcharge along.

(2) Arrears of surcharge, if any, shall be shown in column 23 of the dhal-banch (Form No. P-30 appended to the Land Record Rules).

(3) Whenever an instalment of land revenue falls in arrears and action for the recovery of the arrears in accordance with the provisions of Chapter X of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and of the Rajasthan Land Revenue (Payments, Credits, Refunds and Recovery) Rules, 1958, is taken action for the recovery of the surcharge shall also be simultaneously taken.

FORM I

(See rule 3)

Statement of Surcharge on Land Revenue

Name of village Tehsil District Year.....

Particulars of Holdings

Reference to.....

S. No.	Name of estate holder or tenant	(i) No. of Khata Jamabandi or (ii) No. of Khat-auni	Khasra No.	Area in bighas or acres	Soil class as recorded in assessment parcha and current annual register
1	2	3	4	5	6

Instalment of Land Revenue

Yearly land revenue as defined in Rajasthan Act 16 of 1960 payable.	Proportion to total	Amount of instalment	Date on which instalment falls due.
7	8	9	10

Surcharge, if any, payable

In respect of chahi land under proviso to s. 3 of Act 16:		In respect of other land		Total	Date of determination and order of realisation of surcharge
Rate	Amount	Rate	Amount		
11		12		13	14

Particulars of Collections

Date	Amount	Reference to S.No. of village dhal-banch Form P-30	Reference to column 5 of demand slip Form P-31	Reference to No. and date of arz irsal Form P-34
15	16	17	18	19
Reference to Sl. No. and year of siyaha Form P-32				Remarks
20				21

परिशिष्ट सं० 11 (अनु० सं० 81)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अध्याय 10

अध्याय 10

राजस्व संप्रह

(धारा 224) भूमि और उसके उत्पादन पर प्रथम भार के रूप में राजस्व—(1) प्रत्येक सम्पत्ति अथवा जोत पर उसके निर्धारित राजस्व अथवा लगान और उसके किरायों, लाभों अथवा उपज पर प्रथम भार होगा ।

(2) ऐसी सम्पत्ति अथवा जोत के लगान लाभ व उत्पादन किसी भी दीवानी अथवा राजस्व न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के भुगतान हेतु काम में तब तक नहीं लिये जायेंगे जब तक कि उस संबंध में शेष राजस्व अथवा लगान की समस्त रकमें न चुकादी जायें ।

(धारा 225) राजस्व का उत्तरदायित्व—(1) किसी सम्पत्ति के सभी हिस्सेदार और धारणकर्ता सम्मिलित तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर फिलहाल राज्य सरकार को देय राजस्व के लिये उत्तरदायी होंगे ।

(2) किसी सम्पत्ति पर स्थिति किसी जोत के सभी कृषक और हिस्सेदार वर्तमान में राज्य सरकार को देय राजस्व के लिये सम्मिलित तौर से और निजी तौर से उत्तरदायी होंगे ।

(3) किसी सम्पत्ति अथवा किसी जोत का आधिपत्य प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति उनके ऐसे कब्जे प्राप्त करने वाले व्यक्ति से राजस्व अथवा लगान के सभी अवशेषों के लिये उत्तरदायी होंगे ।

(4) इस अध्याय में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भूमिधारी" अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो स्वलाभ के लिये कब्जा धारण करता हो और भूमिधारी के अधिकार का पट्टेदार भी उसमें शामिल होगा ।

(धारा 226) अवशेषों के भुगतान के नियम और दोषी—राजस्व अथवा लगान ऐसी शर्तों में ऐसे समय और ऐसे स्थान पर तथा ऐसी रीति से ऐसे व्यक्तियों को दिया जायेगा जो निर्धारित किये जायें और इस प्रकार नहीं भुगताई प्रत्येक रकम, लगान अथवा राजस्व के अवशेष कहलायेंगे अथवा उनके संबंध में उत्तरदायी व्यक्ति दोषी कहलायेंगे ।

किन्तु शर्त यह है कि जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देशन दे तत्समय राज्य सरकार को भुगतान योग्य राजस्व या लगान का भुगतान सर्कल के पटवारी की भांति किया जायेगा ।

(धारा 227) प्रमाणित हिसाब अवशेषों की साक्षी होना—तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हिसाब का विवरण-पत्र इस अध्याय के अभिप्रायार्थ अवशेष की रकम के संबंध में और उससे संबंध दोषी व्यक्ति के बारे में प्रमाणित साक्षी होगा किन्तु शर्त यह है कि इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति के द्वारा भुगतान किये जाने के हक पर और स्वतन्त्र एवं पृथक कार्यवाही के द्वारा कलेक्टर के गामने के सुधार हिमाव संबंध प्रश्न रखने के हल पर कोई हानिकर प्रभाव नहीं डालेगा ।

(धारा 228) दातव्यों की वसूली की कार्यवाही—राजस्व या लगान के दातव्य निम्नांकित किसी एक या अधिक प्रणालियों द्वारा वसूल किये जायेंगे—

(क) किसी दोषी पर मांग पत्र अथवा उपस्थित-पत्र की तामील द्वारा

(ख) उसकी चलसम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा

- (ग) किसी निर्धारित क्षेत्र हिस्सा पट्टी अथवा सम्पत्ति जिसके बारे में ऐसे दातव्य हों कुर्की द्वारा
- (घ) ऐसे हिस्से या पट्टी को किसी साख वाले हिस्सेदार को हस्तान्तरित करके।
- (ङ) ऐसे किसी निर्धारित हिस्से या पट्टी अथवा सम्पूर्ण सम्पत्ति की बिक्री द्वारा
- (च) दोषी की अन्य किसी अचलसम्पत्ति की बिक्री द्वारा किन्तु शर्त यह है कि खण्ड (ङ) के प्रावधान किसी जागीर भूमि अथवा भूमिधारण की सम्पत्ति पर लागू नहीं होगा।

(धारा 229) मांग-पत्र एवं उपस्थिति-पत्र:—यदि राजस्व अथवा लगान का कोई दातव्य शेष हो एक मांग-पत्र उसमें उल्लिखित तारीख तक बकाया रकम चुकाये जाने के निर्देश सहित दोषी पर तामील कराया जायेगा अथवा एक उपस्थिति-पत्र उसमें उल्लिखित तारीख पर उपस्थित होने बाबत उस पर जारी किया जायेगा।

(धारा 230) चलसम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री:—कलक्टर दोषी व्यक्ति की चलसम्पत्ति को कुर्क कर सकता है और बेच सकता है इस धारा के अन्तर्गत निर्देशित प्रत्येक कुर्की और बिक्री भी फिजहाल दीवानी अदालत की डिक्री के अन्तर्गत चलसम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री के विषय में लागू विधि के अनुकूल की जायेगी। जाब्ता दीवानी, 1908 (केन्द्रीय एक्ट संख्या 5, सन् 1908) की धारा 60 के प्रतिबन्ध में बताये गये विवरण के अलावा इस धारा के अन्तर्गत एकान्तिक रूप से धर्म कार्यों के लिए अलग रखी गई वस्तुओं की भी कुर्की एवं बिक्री से मुक्त रखा जायेगा। कुर्की एवं बिक्री का खर्च राजस्व या लगान के मतालबे में जोड़ दिया जायेगा और इसी भांति वसूली योग्य रहेगा।

(धारा 231) भूमि की कुर्की:—(1) पहले निर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया को छोड़ कर अथवा उसके बजाय कलक्टर निर्दिष्ट क्षेत्र, हिस्से, पट्टी अथवा जायदाद को जिसके संबंध में ऐसा मतालबा शेष रहे, कुर्क कर सकता है और अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत ले सकता है और ऐसी कुर्की उस समय समाप्त हो जायेगी जब सभी दातव्य चुकते हो जायेंगे।

(2) दातव्यों के चुकते होने के पश्चात् भूमि को छोड़ दिया जायेगा और प्राप्त किया गया आधिक्य, यदि कोई हो, दोषी को अथवा उसके वैध प्रतिनिधि को दे दिया जायेगा।

(धारा 232) कर्ता के अधिकार और आभार:—कलक्टर जहां कोई भूमि प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अधीन हो उसकी कुर्की के समय दोषी और कार्रकारों के बीच वर्तमान प्रत्येक संविदा को मानने के लिए बाध्य होगा और इसी प्रकार कुर्की की गई सम्पत्ति के प्रबन्ध हेतु शक्ति सम्पन्न होगा और उससे प्राप्त होने वाले सभी कार्यों एवं लाभों को पा सकेगा। इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति से एकत्र रकम कुर्की के बाद शेष रहने वाले राजस्व या लगान की किश्तों की अदायगी में और कुर्की के प्रबन्ध व्यय में लगाई जायेगी और शेष रकम ऐसे दातव्यों के चुकारे हेतु काम में ली जायेगी जिनके कारण वह कुर्क की गई हो।

(धारा 233) कुर्की की घोषणा:—(1) धारा 231 के अन्तर्गत जब कलक्टर कोई जमीन कुर्क करता है वह इस संबंध में एक घोषणा करेगा।

(2) ऐसी घोषणा की तारीख के पश्चात् अथवा ऐसी अग्रिम तारीख के पूर्व ही उस भूमि के लगान के बतौर अथवा ऐसे अन्य लाभ हेतु देय रकम अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को दिये जाने पर उस संबंध में कलक्टर का चुकारा करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी उत्तरदायिता से मुक्त नहीं होगा।

(धारा 234) दोषी के भाग का हस्तान्तरण:—(1) जब किसी सम्पत्ति के भाग या पट्टे के विषय में कोई दातव्य शेष हो तो कलक्टर पहले निर्दिष्ट तरीकों के अलावा अथवा उनकी बकाया राजस्व मण्डल की पूर्व स्वीकृति लेने पर ऐसे हिस्से या पट्टे को ऐसी स्वीकृति के तत्काल बाद, प्रथम जुलाई में अधिकतम 10 वर्ष के लिए किसी एक अथवा अधिक साक्षीदारों को जिनमें सम्पत्तिधारी सम्मिलित नहीं होगा, दातव्य चुकाने की शर्तों और ऐसी शर्तों पर जो बोर्ड मामले में निर्धारित करे, हस्तान्तरण कर सकता है और ऐसे

हस्तान्तरण से उस सम्पत्ति के संबंध में वह लागू होगा साझीदारों की निजी और सम्मिलित उत्तरदायित्व पर किसी भांति प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) जब हस्तान्तरण की अवधि समाप्त हो जाय तो वह हिस्सा या पट्टे संबंधी सम्पत्तिधारी को सरकार अथवा ऐसे हिस्से या पट्टे के संबंध में शेष रकम के हस्तान्तरण प्रहीता के प्रत्येक दावे से मुक्त कर लौटा दी गई समझी जायेगी ।

(धारा 235) दोषी के निर्दिष्ट हल्के, पट्टी या सम्पत्ति का विक्रय:—कलक्टर की राय जब यह हो कि पूर्वोक्त प्रणालियां दातव्य की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं होंगे तो उन सभी या उनमें से किसी प्रणाली के बजाय अथवा उसके या उनके अतिरिक्त किसी निर्दिष्ट क्षेत्र, पट्टी या सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसे दातव्य देय हों, के विक्रय नीलाम द्वारा कर सकता है परन्तु शर्त यह है कि कोई भी अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र पट्टी या सम्पत्ति किसी ऐसे दातव्य के लिए नहीं विक्रय किये जायेंगे जो कि उपाजित हुई हों, जब कि वह सम्पत्ति—

(क) कोर्ट आफ वार्ड्स के अन्तर्गत, हो अथवा

(ख) कलक्टर के प्रत्यक्ष प्रबन्ध में रही हो ।

(धारा 236) भूमि का विक्रय भार मुक्त होगा:—(1) विगत धारा के अन्तर्गत बेची गई भूमि तत्काल समस्त भारों से मुक्त करके बेची जायेगी और क्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे भूमि के संबंध में पूर्व से किये गये सभी अनुबन्ध नीलाम के समय क्रेता के विकल्प पर निष्प्रभाव हो सकेंगे ।

(2) उप-धारा (1) की कोई वस्तु रहवासी गृह बनाने के लिये या शिल्प निर्माण के लिए अथवा उपवन, तालाब, नहर, पूजा स्थान अथवा मरघट अथवा कब्रगाह बनाने के लिए वास्तविक अस्थायी अथवा निरन्तर पट्टों के अन्तर्गत धारण की गई भूमि पर लागू नहीं होगी और ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में उल्लिखित कार्यों के लिए काम में ली जाती रहेगी ।

(3) उप-धारा (1) में किसी वस्तु के रहते हुए भी राज्य सरकार विक्रय के पूर्ण होने से पूर्व यह निर्देश कर सकती है कि बिक्री भूमि के धारणकर्ता द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके संबंध में उत्पन्न ऐसे हितों या अधिकारों के अन्तर्गत जिन्हें वह उचित समझे की जाय ।

(धारा 237) दोष से असम्बद्ध सम्पत्ति में निहित दोषी के हितों के विरुद्ध कार्यवाही:—(1) जब उपरोक्त प्रणालियां द्वारा किसी से अवशेष वसूल नहीं हो सकें और दोषी किसी अन्य सम्पत्ति के किसी अंश का अथवा सम्पत्ति का अथवा किसी अन्य अचल सम्पत्ति का स्वामी हो या उसमें कोई हित रखता हो, तो कलक्टर ऐसी सम्पत्ति या उसके अंश या उस अचलसम्पत्ति के विरुद्ध इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह ऐसी भूमि हो जिसके विषय में इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व अथवा लगान दातव्य हो, किन्तु शर्त यह है कि दोषी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हितों पर ऐसी रीति से प्रभाव नहीं डाला जायेगा ।

(2) राजस्व या लगान के अवशेषों के रूप में वसूल की जाने वाली धनराशि जो कि किसी विशेष भूमि के सम्बन्ध में ज्ञातव्य न हो, इस धारा के अन्तर्गत दोषी की किसी अचलसम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर वसूल की जा सकती है ।

(धारा 238) विक्रय की घोषणा:—(1) जब धारा 235 के अथवा 237 के अधीन किसी भूमि अथवा अचलसम्पत्ति के विक्रय का आदेश पारित कर दिया जाय तो कलक्टर ऐसे निविदा विक्रय का एक घोषणा-पत्र बेची जाने वाली भूमि पर निर्धारित राजस्व व ऐसे अवशेष जिनके लिए बेची जा रही हो, विक्रय का समय और स्थान भूमि के भार सहित या भार मुक्त बेची जाने पर ऐसे अन्य विवरण सहित जो कलक्टर आवश्यक समझे एक घोषणा निकाली जायेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई घोषणा की प्रतिलिपि दोषी पर निकाली जायेगी ।

(धारा 239) विक्रय कब और किसके द्वारा होगा:—(1) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक विक्रय एवं कलक्टर द्वारा अथवा उस संबंध में विशेषरूप से उसके द्वारा नियुक्त सहायक कलक्टर द्वारा किया जायेगा ।

(2) कोई भी विक्रय रविवार अथवा अन्य स्वीकृत छुट्टी के दिन अथवा घोषणा निकाले जाने के दिन के पश्चात् 30 दिनों की समाप्ति के पूर्व संपादित नहीं किया जावेगा ।

(3) समय समय पर कलक्टर विक्रय को स्थगित कर सकता है ।

(धारा 240) विक्रय के संबंध सम्पत्ति पर बली लगाने और उसके ग्रहण करने पर निषेध:—किसी ऐसे विक्रय के संबंध में कोई कर्तव्य पूरा करने वाला कोई भी पदाधिकारी और ऐसे अफसर के अधीन या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति जो उसमें निहित किसी प्रत्यक्ष हित के विक्रय में कोर्ट आफ वाड्स अथवा राज्य सरकार के निमित्त अवस्था के अलावा कोई बली नहीं लगायेगा और न उसे ग्रहण करने का प्रयास करेगा ।

(धारा 241) विक्रय को रोकना:—जब दोषी ऐसा बकाया जिसके बारे में कोई भूमि या अन्य अचल-सम्पत्ति बेचे जाने को ही उसके विक्रय के दिन के पूर्व कलक्टर की अथवा राजस्व या लगान के चुकाने को प्राप्त करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को अथवा ऐसे सहायक कलक्टर को जो कि ऐसे सब-डिविजन का कार्याधिपति हो या जिसमें वह जमीन या अचलसम्पत्ति स्थित हो उसे शेष ऋण का भुगतान करेगा तो विक्रय को रोक दिया जायेगा ।

(धारा 242) खरीददार द्वारा धरोहर रखना व उसके अभाव में पुनर्विक्रय:—खरीददार के रूप में घोषित व्यक्ति को उसकी बली की रकम की 25 प्रतिशत शीघ्र बतौर अमानत रखनी होगी और न रखे जाने पर भूमि अथवा अचलसम्पत्ति तदुपरांत दुबारा बेची जायेगी और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय के खर्चे हेतु और द्वितीय विक्रय से प्राप्त मूल्य के कारण उत्पन्न अभाव के लिये उत्तरदायी होगा और ऐसी रकम कलक्टर द्वारा राजस्व के अवशेष के रूप में उससे वसूल की जायेगी ।

(धारा 243) ऋय के मूल का चुकाया जाना:—(1) ऋय धनराशि का पूर्णोऽंश विक्रय की तारीख के 15वें दिन या उससे पूर्व क्रेता द्वारा कलक्टर के कार्यालय में चुकाया जायेगा ।

(2) जब ऋय राशि इस भांति न चुकाई जाय तो विक्रय का व्यय चुकाने के पश्चात् धरोहर की शेष रकम राज्य सरकार द्वारा जन्त करली जायेगी और दोषी क्रेता की उस सम्पत्ति में से अथवा तत्पश्चात् प्राप्त विक्रय राशि के किसी हिस्से से संबंधित सभी दावे भी जन्त हो जायेंगे ।

(धारा 244) पुनः विक्रय से होने वाली हानि के लिए क्रेता का दायित्व:—जब ऐसे विक्रय की राशि जिनके फलस्वरूप पुनर्विक्रय किया जाय, ऐसे अभियुक्त क्रेता द्वारा लगाई गई बली की कीमत से कम हो तो तत्संबंधी अन्तर उससे राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल किया जायेगा ।

(धारा 245) पुनर्विक्रय के पूर्व घोषणा:—धारा 229 के अन्तर्गत किये गये स्थगन के पश्चात् कोई भी विक्रय या धारा 242 के अन्तर्गत ऋय राशि के भुगतान नहीं किये जाने पर कोई भी पुनर्विक्रय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक मूल विक्रय के लिये निर्धारित प्रणाली से नवीन घोषणा नहीं कर दी जाय ।

(धारा 246) अवशेष के जमा होने पर विक्रय को निर्मूल करने का आवेदन-पत्र:—इस अधिनियम के अन्तर्गत बेच दी गई जला व्यापकता का भूमि या चलसम्पत्ति उसके विक्रय की तारीख के बाद 30 दिन की अवधि के अन्तर्गत कलक्टर के कार्यालय में निम्नांकित रकम जमा करा कर विक्रय को निर्मूल करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है:—

(क) क्रेता को देय रकम जो ऋय राशि के 5 प्रतिशत के बराबर हो ।

(ख) अवशेषों के संबंध में देय रकम के जिसका निर्देश विक्रय की घोषणा में किया गया हो और जिसके लिये बिक्री का आदेश दिया गया हो भुगतान हेतु ऐसी रकम में से विक्रय के घोषणा-पत्र से ऐसी रकम जमा कराये जाने की तारीख के बीच चुकाई गई रकम शेष कर दी जायेगी और

(ग) विक्रय व्यय ।

यदि इस प्रकार जमा 30 दिनों की अवधि के भीतर हो जाय तो कलक्टर विक्रय को रद्द करने का आदेश निकालेगा ।

परन्तु शर्त यह है कि कोई व्यक्ति धारा 247 के अन्तर्गत विक्रय को रद्द करने हेतु आवेदन करता है तो वह इस धारा के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होगा ।

एक शर्त यह भी है कि इस धारा के अधीन विक्रय को रद्द करने के साथ ही यदि भूमि धारा 266 के अन्तर्गत सर्वभार मुक्त विक्रय की गई होगी तो ऐसे भार पुनः प्रभावशील हो जायेंगे ।

(धारा 247) अनियमित इत्यादि की वजह से विक्रय को निर्मूल करने का आवेदन-पत्र:—विक्रय को किसी वास्तविक अनियमितता अथवा प्रकाशन भी सम्पादन की त्रुटि के आधार पर विक्रय की तारीख के पश्चात् 30 दिन की अवधि के भीतर किसी भी समय रद्द किये जाने के संबंध में कोई आवेदन-पत्र कलक्टर को दिया जा सकता है किन्तु कोई भी विक्रय तब तक ऐसे आधार पर रद्द नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदन-कर्ता कलक्टर के सन्तोष के लिए यह साबित न कर दे कि उसे ऐसी अनियमितता या गलती के कारण कोई मौलिक हानि नहीं पहुंची है ।

(धारा 248) विक्रय की पुष्टि अथवा निर्मूल करने हेतु आज्ञा:—यदि विक्रय के पश्चात् 30 दिनों की समाप्ति पर धारा 246 अथवा 247 में उल्लिखित कोई आवेदन-पत्र पेश करना हो अथवा यदि ऐसा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो और खारिज कर दिया गया हो तो कलक्टर विक्रय की पुष्टि हेतु एक आदेश प्रकाशित करेगा और यदि ऐसा आवेदन-पत्र धारा 247 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया हो और स्वीकृत कर लिया गया हो तो कलक्टर विक्रय को रद्द करने के लिये आदेश देगा ।

(धारा 249) अनियमितता अथवा गलती पर आधारित दावों पर प्रतिबन्ध:—यदि धारा 247 के अधीन इस संबंध में दिये गये समय के अन्दर कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाय तो विक्रय के प्रकाशन तथा सम्पादन के संबंध में हुई गलती या अनियमितता के आधार पर किये जाने वाले सभी दावे प्रतिबन्धित होंगे ।

परन्तु इस धारा में उल्लिखित कोई भी वस्तु धोके के आधार पर बिक्री को रद्द किये जाने के अर्थ के लिये दीवानी न्यायालय में दायर किये जाने वाले दावे पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी ।

(धारा 250) विक्रय के रद्द होने पर क्रय राशि की वापसी:—धारा 248 के अधीन जब कभी किसी भूमि अथवा अचलसम्पत्ति के विक्रय को रद्द कर दिया जाय तो खरीददार व्याज सहित जो कि 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिक नहीं होगा अथवा व्याज रहित जैसा कि कलक्टर उचित समझे धनराशि के पुनः प्राप्त का अधिकारी होगा ।

(धारा 251) ऋता को आधिपत्य दिलाना व विक्रय प्रमाण-पत्र देना:—(1) जब उपर्युक्त प्रणाली से इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भूमि या अन्य अचलसम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी जाय तो कलक्टर ऐसे व्यक्ति को जो ऋता के रूप में घोषित कर दिया जाय उस सम्पत्ति का आधिपत्य देगा और उस संबंध में प्रमाण-पत्र उसे प्रदान करेगा कि उसने ऐसी भूमि खरीदी है जिसका अन्दर्भ प्रमाण-पत्र में होगा और ऐसे प्रमाण-पत्र ऐसी सम्पत्ति के बंध हस्तान्तरण का प्रमाण समझा जायेगा परन्तु केवल इसके कि जब इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (सेन्ट्रल एक्ट संख्या 16, सन् 1908) द्वारा प्रावहित किया जाय उसका क्रय-विक्रय पत्र के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं होगा ।

(2) यदि धारा 235 के अन्तर्गत कोई भूमि उसके संबंध में राजस्व या लगान के अवशेष के कारण बेची जाय तो प्रमाण-पत्र में यह भी लिखा जायेगा कि क्रेता ने ऐसी भूमि जिसका सन्दर्भ प्रमाण-पत्र में है प्रत्येक भार से मुक्त खरीदी है ।

(धारा 252) विक्रय की आमदनी का प्रयोग:—यदि इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि या प्रचल-सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी जाय तो विक्रय की आमदनी सर्वप्रथम अवशेषों के भुगतान में जिनमें वे खर्च भी सम्मिलित होंगे जो वसूली करने में हुये हैं और जो राज्य सरकार के विक्रय की पुष्टि किये जाने की तारीख पर दोषी द्वारा देय होंगे चाहे अवशेष राजस्व या लगान के अवशेषों के अनुसार वसूली योग्य चुकाने में खर्च की जायेगी और उसके पश्चात् यदि विक्रय किसी राजस्व या लगान के अवशेषों की वसूली के संबंध में किया गया हो किन्तु वह राज्य सरकार देय न हो तो उस संबंध में किये गये व्यय सहित उस रकम के भुगतान के संबंध में व्यय की जायेगी और शेष यदि कोई हो तो उस व्यक्ति को दी जायेगी जिसकी भूमि बेची गई हो अथवा यदि बेची गई भूमि साक्षीदारी की हो तो ऐसे साक्षीदारी में सामुहित रूप से या उनके अभिलिखित हितों की रकम के अनुसार जैसा भी कलक्टर को ठीक लगे ऐसी आय का अवशेष बांट दिया जायेगा ।

(धारा 253) राजस्व या लगान के विषय में क्रेता का दायित्व:—किसी भूमि के क्रेता के रूप विक्रय के प्रमाण-पत्र में जिस व्यक्ति का नाम लिखा होगा वह ऐसी की पुष्टि की तारीख के बाद किसी भूमि के संबंध में शेष निकलने वाली राजस्व या लगान की सम्मिलित किश्तों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा ।

(धारा 254) भागीदारों या साक्षीदारों के संबंध में पूर्व क्रियाधिकार:—धारा 235 या 237 के अन्तर्गत जब बेची गई भूमि किसी सम्पत्ति का कोई अंश हो तो कोई भी अभिलिखित सम्पत्ति का अभिलिखित भागीदार उस व्यक्ति के अलावा जिसको भूमि बेची गई हो किसी नये व्यक्ति के नाम पर उस हिस्से को छोड़ जाने की अवस्था में अन्तिम रूप से लगाई बोली के रूप में क्रय के लिए अभियाचना कर सकता है किन्तु शर्त यह है कि ऐसे दावों द्वारा विक्रय की अन्य समस्त शर्तों को पूरा कर देना चाहिए ।

(धारा 255) विलोपित ।

(धारा 256) मुतफरिफ रेवेन्यू व अन्य रकूमात की वसूली:—निम्नलिखित रकूमात की वसूली इस एक्ट के तहत बतौर मालगुजारी की बकाया के की जायेगी ।

(क) वे समस्त धनराशियां जो इस अधिनियम द्वारा अथवा तत्समय प्रवर्तनशील किसी विधि राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 (राजस्थान एक्ट सं० 5, सन् 1952) को छोड़ कर द्वारा—

- (1) राजस्व या भू-राजस्व या लगान की बकाया के रूप में वसूल योग्य या उगाही योग्य या
- (2) मतालबे या सरकारी मतालबे के रूप में अथवा सरकारी मतालबे के अथवा त्रैसे मतालबे या सरकारी मतालबे की बकाया के रूप में वसूल योग्य या उगाही योग्य घोषित की गई हो ।

(ख) वे समस्त धनराशियां जो किसी कानून या विधिसमय प्रभाव रखने वाले नियम के अधीन दरों, शुल्कों, करों, प्रभारों या किसी अन्य देयों के कारण राज्य सरकार या किसी विभाग या राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा स्थानीय प्राधिकारी को वावजूद इसके कि यह ऐसे कानून या नियम में राजस्व या भू-राजस्व या लगान की बकाया के रूप में वसूली योग्य या उगाही योग्य अथवा कोई मतालबा या सरकारी मतालबे या सरकारी मतालबे की बकाया के रूप में वसूल किए जाने या उगाहने योग्य घोषित न की गई हो देय हो ।

(ग) वे समस्त धनराशियां जो राज्य सरकार या किसी विभाग अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी को या स्थानीय प्राधिकारी को:—

- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन व्यवहार अथवा दण्ड न्यायालय को छोड़कर किसी प्राधिकारी द्वारा फीस अर्थ दण्डों, शास्तियों, मुआवजों या परिव्ययों के रूप में आरोपित की जाए या दिलाई जाये या

(2) चराई के अधिकारों, वनाधिकारों मत्स्याधिकारों भूमि की प्राकृतिक उपजों वाटर रेट (ग्राब-याना) सिंचाई व्यय सिंचन निर्माण कार्यों के संधारण तथा प्रबन्ध और इसी प्रकार की बातों के कारण देय हो।

(घ) भूमि या जल या अन्य अचलसम्पत्ति, चाहे वह राज्य सरकार की हो अथवा नहीं के प्रयोग अथवा अभिधारण के कारण इनसे होने वाली किन्हीं उपज अथवा आय के कारण या अन्य किसी कारण से समस्त वे लगान अधिशुल्क उप-कर फीस तथा रायल्टी जो राज्य सरकार के देय हो।

(ङ) वे समस्त धनराशियां जो किसी भी अनुदान, पट्टा या संविदा, जिसमें यह प्रावहित हो कि वे राजस्व या भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होंगी के अधीन देय हो तथा

(धारा 257) प्रतिभूतियों से धनराशि की वसूली—इस अधिनियम के प्रवधानों में से किसी के अन्तर्गत अथवा किसी अन्य विधान अथवा किसी अनुदान पट्टे या अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिभू बना हो और उस संबंध में प्रतिभूति दी गई रकम मुखिया से राजस्व के अवशेषों के रूप में वसूल करने योग्य हो और वह अपने प्रतिभूति-पत्र की शर्तों के अधीन देने के लिए उत्तरदायी होने के अलावा कोई रकम या उसका कोई भाग भुगतान करने में असफल रहे तो उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी मानो कि वह रकम का कोई अंश राजस्व कोई अवशेष हो।

(धारा 257-क) धारा 256 व 257 में निर्दिष्ट धनराशियों की वसूली के लिए आवेदन-पत्र—(1) कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी जिसे धारा 256 या 257 में निर्दिष्ट कोई भी धनराशि देय हो निर्धारित प्रपत्र में एक लिखित आवेदन पत्र कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित तफसील होगी अर्थात्:

- (क) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जिसे धनराशि देय हो तथा भुगतान किया जाना हो।
- (ख) ऐसे व्यक्ति का नाम तथा विवरण जिससे धनराशि प्राप्त हो।
- (ग) देय धनराशि तथा उसकी किस्म।
- (घ) अवधि, यदि कोई हो, जिसके लिए वह देय है और वह तारीख जिसको वह सर्वप्रथम देय हुई।
- (ङ) प्रक्रिया जिसके जरिये धनराशि वसूल की जा सके।
- (च) जहां संभव हो ऐसी सम्पत्ति जिसके संबंध में प्रक्रिया निष्पादित की जा सके तथा
- (छ) ऐसे अन्य ब्यौरे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं।

किन्तु शर्त यह है कि ऐसे मामलों में कोई आवेदन-पत्र आवश्यक नहीं होगा जहां ऐसी विधि जिसके कि अधीन ऐसी धनराशि देय हो तथा भुगताई जानी हो के अनुसार कोई ऐसा प्रमाण-पत्र या प्रमाणीकृत लेखा विवरण या अन्य दस्तावेज पूर्वोक्त तफसील तथा संभव निर्दिष्ट करते हुए कलेक्टर को भेजने की अपेक्षा की गई हो तथा जो कलेक्टर को भेज दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्र प्रमाण-पत्र लेखा विवरण या अन्य दस्तावेज इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार वसूली के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कि उस पर हस्ताक्षर किये हों बकाया देय होने ऐसी बकाया की रकम तथा उस व्यक्ति को जो दोषी हो के बारे में अन्तिम साक्ष्य होगा।

(धारा 257-ख) विरोध-पत्र (प्रोटेस्ट) के अधीन भुगतान तथा आगे का उपचार—(1) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन किसी ऐसी धनराशि की वसूली के लिए कार्यवाहियां की जाएं तो धारा 256 या धारा 257 में निर्दिष्ट है तो ऐसा व्यक्ति कार्यवाहियों के अधीन कुर्क की गई किसी भी सम्पत्ति के नीलाम की बोली खत्म होने से पूर्व वह राशि जिसके लिए दावा किया गया हो किसी समय अदा करसकेगा और

साथ ही एक विरोध-पत्र जो उसके स्वयं के द्वारा या उसके प्राधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित होगा, उक्त कार्य-वाहियां करने वाले राजस्व अधिकारी को दे सकेगा।

(2) ऐसी अवस्था में जब कि कोई रकम उप-धारा (1) के अधीन सविरोध अदा की जाय तो वह रकम मय विरोध-पत्र के उस अधिकारी को प्रेषित की जायेगी जिसके कहने पर उक्तरूपेण कार्यवाही आरम्भ की गई हो।

(3) उप-धारा (4) के अन्तर्विष्ट प्रावधान के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को जिसने उप-धारा (1) के अनुसार भुगतान किया हो, उक्तरूपेण सविरोध अदा की गई समस्त राशि अथवा उसके किसी अंश की वसूली के लिए वाद दायर करने का हक होगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन कोई भी वाद ग्रहण अथवा दायर नहीं किया जायेगा, यदि कोई भी ऐसा कानून जिसके अधीन सविरोध अदा की गई रकम देय हो उस व्यक्ति के लिए जिससे कि ऐसी धनराशि वसूल की गई हो कोई उपचार (Remedy) चाहे वाद अपील आवेदन के रूप में अथवा अन्यथा प्रावहित करता हो।

(5) किसी राजस्व अधिकारी द्वारा धारा 256 तथा 257 में निर्दिष्ट धनराशियों की वसूली के लिए इस अध्याय के अधीन की गई कार्यवाहियों के संबंध में पारित किसी आज्ञा की कोई अपील नहीं होगी अथवा कोई प्रतिप्रेषण (Reference) नहीं होगा।

(धारा 257-ग) "व्यक्ति जिसे धनराशि प्राप्य हो" की परिभाषा:—धारा 257-क तथा 257-ख के प्रयोजनार्थ पद के व्यक्ति जिनसे धनराशि प्राप्य हो या समान आशय के किसी अन्य पद से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होगा जिसका नाम धारा 257-क की उप-धारा(1) के अधीन दिये गए आवेदन में तत्तुरूपेण लिखा हो चाहे ऐसी धनराशि व्यक्तिवशः उससे प्राप्य हो या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति जिससे कि वह धनराशि इस प्रकार प्राप्य थी के वैध प्रतिनिधि के रूप में प्राप्य हो और उसमें नीचे वर्णित व्यक्ति सम्मिलित होगा।

(1) जो धारा 257 के अधीन ऐसे व्यक्ति जिससे धनराशि उक्तरूपेण प्राप्त है या प्राप्त थी के प्रतिभू के रूप में उत्तरदायी हो अथवा

(2) जिसका नाम वाद में ऐसे व्यक्ति के नाम की जगह प्रतिस्थापित किया जाए या ऐसे व्यक्ति के रूप में जोड़ा जाय जिससे धनराशि उक्तरूपेण प्राप्त है या प्राप्य थी।

(धारा 257-घ) इस अध्याय के प्रावधानों का अधिनियम के प्रारम्भ के समय देय समस्त धनराशियों पर लागू होना:—इस अध्याय के वे प्रावधान जो राजस्व अथवा लगान की वसूली के बारे में हैं राजस्व अथवा लगान की समस्त बकाया तथा ऐसी धनराशियां जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय धारा 256 तथा 257 के अधीन राजस्व की बकाया के रूप में हो पर लागू होंगे।

FORM No. X

(See rule 63)

Form of application for recovery of moneys referred to in section 256 or 257 of Rajasthan Act 15 of 1956.

From

The.....
.....

(Official designation of office or authority making the application)

To

The Collector,

Subject:—Application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

Sir,

This is an application for recovery of money referred to in sections 256/257 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

2. The required particulars are as under:-

- (a) Name of officer or authority to whom the sum is due and payable.....
- (b) Name and description of the person from whom the sum is due A.B.S/O.C.D. resident of E.F.
(Full particulars sufficient to trace the defaulter should be given).
- (c) Sum due and the nature thereof Rs. _____/Rupees
.....(in words)
on account of.....

[Full particulars of dues such as nature, amount, amount of interest, etc. should be given. For particulars see clauses (d) to (e) of sections 256 and 257 of Act 15 of 1956].

- (d) The period, if any, from which it is due and the date on which it first became payable.....
- (e) Process by which the sum may be recovered.....
- (f) Particulars of property (if any) against which process may be executed.....
- (g) Further particulars (if required under section 257-C of Rajasthan Act 15 of 1956).....

3. The sum, if recoverable by you in the same manner as an arrear of revenue; and you are, thereof, requested to recover it as such and remit it to my office at.....

Yours faithfully,

Signature and designation with seal and date.

परिशिष्ट संख्या 12 (अनुच्छेद संख्या 101)

राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम, 1955 नियम 26 से 41

अध्याय 6

अधिनियम की धारा 126 के प्रबंधनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम 26:-- कृषिकृषिगतियों दो प्रकार की होती हैं (1) विस्तीर्ण और (2) स्थानीय दुर्भिक्ष तथा अनावृष्टि व्यापक आपत्ति जाती है और तुषारापात, रोली, ओले पड़ना, टिड्डा आना व बाढ़ गामान्यतः स्थानीय अर्थात् ऐसी कृषिगतियाँ हैं जिनका सीमित क्षेत्र पर ही प्रभाव पड़ता है। कृषिकृषिगतियों का पड़ने पर लगान का न करके अथवा लगान की छूट करके, सहायता दी जाती है।

27. सिद्धान्त, जिन पर निर्णय किया जायेगा, कि आया सिफरिंग लगान के स्थगन (suspension) के लिए की जानी चाहिए अथवा लगान की छूट के लिए:--

खरीफ की फसल को प्रभावित करने वाली आपत्ति की अवस्था में साधारणतया लगान का स्थगन प्रस्तावित होगा, किन्तु यदि आपत्ति असाधारण रूप से हानिकारक हो या पहिले की फसलों के बिगड़ जाने की वजह से खरीफ की आर्थिक स्थिति गिर गई हो या जबकि खरीफ फसल की मुख्य अथवा असाधारणतया महत्वपूर्ण फसल है तो लगान की छूट के लिये सिफरिंग की जा सकेगी।

जब आपत्तियों का प्रभाव रबी की फसल पर पड़े तो साधारणतया लगान की छूट का प्रस्ताव किया जा सकेगा। इसका कारण कि खरीफ की फसल को प्रभावित करने वाली कृषि आपत्ति के पड़ने पर साधारणतया लगान का स्थगन ही क्यों मंजूर किया जाता है, छूट क्यों नहीं, यह है कि खरीफ की फसल (कपास को छोड़कर), साधारणतया लोगों के खाने के अन्न ही पैदा होते हैं, जबकि रबी में नकद फसल देने वाली फसलें होती हैं। इसलिए लगान के स्थगन या छूट के रूप में सहायता की मात्रा का अंशकाल करते समय यह आवश्यक है कि खरीफ रबी की उगाई का सापेक्ष महत्व पर ध्यान दिया जाय।

टिप्पणी:--खरीफ के फसली मौसम होने कारण कृषि आपत्ति पड़ने पर लगान मुलतवी किया जा सकेगा, रबी की तरह एक दम लगान मुक्ति नहीं की जायेगी।

28. शीघ्रता की आवश्यकता:--जहाँ तक सम्भव हो सके, सहायता किसी व्यक्ति द्वारा सहन की गये नुकसान के ठीक अनुरूप होनी चाहिये। लेकिन आज्ञाओं के जारी करने में शीघ्रता करने का अर्थ, नुकसान के अनुमान का हिसाब पूरी पूरी शुद्धता के साथ मंजाने की अपेक्षा कहीं अधिक है। अतः असाधारण रूप से उस दशा में जब कि वह क्षेत्र जिनमें नुकसान हुआ हो, बहुत बड़ा हो जो हुए नुकसान में बड़ी फर्क को छोड़ते हुए नुकसान की एक औसत दर मान ली जानी चाहिए।

29. सहायता का पैमाना:--भूमि क्षेत्र पर लगान के रूप में दी जाने वाली सहायता और नुकसान के आधुनिक सम्बन्ध की जो गणना की गई है, वह नीचे किन्ही शर्तियों से प्रभावित होती है:--

प्रति रुपया आने में मूल्यांकित नुकसान, जो साधारण उलाज में हुआ हो लगान में सहायता का पैमाना होगा।

1. 6 आने से कम	कुछ नहीं
2. 6 आने हो, लेकिन आठ आने न हो	4 आने
3. 8 आने हों, लेकिन दस आने न हों	6 आने
4. 10 आने हों, लेकिन 12 आने न हों	8 आने
5. 12 आने हों	10 आने
6. 12 आने से अधिक	16 आने

एसे भूमि क्षेत्रों की दशा में जिनका लगान उपज के लिये विभाजन द्वारा देय हो या खड़ी हुई फसलों के मूल्यांकन पर आधारित हो, साधारणतया सहायता नहीं दी जाती है।

30. सिद्धान्त जिन पर इस बात का निर्णय किया जायेगा, कि स्थगित की हुई लगान राशि वसूल की जानी चाहिये अथवा नहीं:—निम्न लिखित सिद्धान्त कलक्टर का यह निर्णय करने में मार्गदर्शन करेगा, कि काबिल वसूली लगान की स्थगित राशि वसूल की जानी चाहिये अथवा नहीं—

- (क) ज्योंही लोगों की परिस्थितियाँ अथवा फसल की पैदावार इस योग्य हो जाय कि स्थगित लगान वसूल किया जा सके, ज्योंही स्थगित लगान वसूल कर लिया जाना चाहिये।
- (ख) ज्योंही उस फसल की, जिस पर स्थगित लगान का वसूल किया जाना अस्थायी तौर पर प्रस्तावित किया गया हो आगे की आज्ञा पर्याप्त रूप से सुस्पष्ट प्रतीत हो, कलक्टर बकाया की वह रकम जिसे वह उस फसल पर वसूल कर सकता है, निश्चित करेगा और अपने प्रस्ताव की रिपोर्ट कमिश्नर को प्रेषित करेगा।
- (ग) इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में कलक्टर उस आपत्ति के प्रकार तथा मात्रा, जिसके कारण सहायता दी गई हो, फसल (उपज) जो काटे जाने की हो, की दशा तथा लोगों की हालत का ध्यान रखेगा।
- (घ) जब ऐसी फसल (उपज) जिसके लिये स्थगित लगान की अवधि बढ़ाई गई है, मामूली फसल की हालत से गिरी हुई है तो सम्पूर्ण स्थगित लगान या उसके किसी भाग की छूट के लिये सिफारिश की जा सकेगी।
- (ङ) जब लगान की रकम प्रारम्भतः स्थगित की गई हो उसके पश्चात् पूरे तीन वर्ष बीत जाने पर उल्लिखित लगान की उस रकम की छूट लिये जाने के लिये रिपोर्ट की जानी चाहिये।

टिप्पणी:—यह नियम आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक एवं उदाहरणात्मक है अतएव इसमें वांछित वसूली के समान अन्य जायज वसूली पर भी विचार किया जा सकेगा

निरीक्षण व क्षति का अनुमान

31. फसलों की दशा पर निरन्तर निगरानी रखने की आवश्यकता:—राजस्व पदाधिकारियों और विशेषकर कलक्टर व सब-डिविजनल अफसरों का कर्तव्य होगा कि वे अपने अधीनस्थ क्षेत्रों की फसलों की दशा पर पूरी पूरी निगरानी रखें। मौसम तथा अन्य कारणों, जो फसलों को उनके बीये जाने से लेकर उनके काटे जाने तक प्रभावित करती रहती हैं, पर निरन्तर ध्यान देने से ही तुरन्त सहायता देने की आवश्यक कार्यवाही करना सम्भव हो सकता है। इसलिये फसलों के निरीक्षण का कार्य फसलों के काटे जाने के समय के लिये ही सीमित नहीं रखना चाहिए या उस कार्य को उस समय तक विलम्बित नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि यह अफवाह न फैल जाय कि फसल बिगड़ गई है। राजस्व पदाधिकारियों को चाहिये कि बरसात तथा सरदी के मौसम के अपने दौरों में फसलों की आगे की आशा के बारे में लगातार पूछ ताछ करते रहें और अपना यह उद्देश्य बना लें कि वे क्षेत्रों का दौरा अवश्य करें, जहाँ फसल के बिगड़ जाने की सम्भावना हो। समस्त मातहत राजस्व कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा, कि वे फसल के बिगड़ जाने की रिपोर्ट अपने उच्च पदाधिकारियों को तुरन्त दें और कलक्टर, सब-डिविजनल अफसरों तथा तहसीलदारों का उन अवस्थाओं में, जिनमें वे स्वयं पर्याप्त विस्तृत जांच न कर सके, वह कर्तव्य होगा कि वे अपने मातहत कर्मचारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगें। सरकार और कमिश्नर का, कृषि सम्बन्धी स्थिति से कलक्टर के पाठित और सरकारी पत्रों के जरिये, अवगत किया जाता रहना चाहिये। यदि किसी विस्तृत आपत्ति की सम्भावना हो, तो स्वयं कमिश्नर को क्षतिग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने की व्यवस्था करनी चाहिये।

32. विशेष जांच:—जब यह प्रतीत हो, कि सम्भवतः कृषकों को सहायता दिया जाना आवश्यक होगा तो कलक्टर को चाहिये, कि प्रभावित क्षेत्र की विशेष जांच करने की व्यवस्था करें और जब तक क्षति-

अस्त क्षेत्र बहुत ही छोटा न हो, वह स्वयं उस क्षेत्र का निरीक्षण करेगा। यदि क्षेत्र बड़ा हो तो, कलक्टर के लिये उसका स्वयं विस्तृत निरीक्षण करना साधारणतया असम्भव होगा। ऐसी स्थिति में साधारणतया यह उचित होगा, कि गांवों का विस्तृत निरीक्षण भूमि अभिलेख के निरीक्षकों व नायब तहसीलदारों द्वारा कराया जाय तथा उनके कार्य की जांच तहसीलदार व सब-डिविजनल अफसरों द्वारा कराई जाय। ऐसी स्थिति में पटवारियों से रिपोर्ट तत्त्व नहीं की जानी चाहिये। कलक्टर को चाहिये कि वह अपने ज्ञान के आधार पर जो उसने उन फसलों के बोये जाने के समय से ही उनकी निगरानी द्वारा प्राप्त किया है स्वयं को सुयोग्य बचाने हेतु कि वह उसके पास प्राप्त हुई रिपोर्टों की परिशुद्धता से अपने आपको संतुष्ट कर सके तथा उन रिपोर्टों को दुस्त कर सके, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्य का स्वयं पर्याप्त परीक्षण करे। कलक्टर को चाहिये कि वह अपने आपको इस स्थिति में रखे कि किसी प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण करके ही हिदायतें जारी करने के समय वह ऐसे सामान्य आधारों को, जिन पर वह चाहता है कि जांच की जाय तथा ऐसे बिन्दुओं को जिन पर वह विस्तृत सुचनाएं प्राप्त करना चाहता है, प्रकट कर सके। विशेष करके किसी तहसीलदारों का एक सम्मेलन आयोजित करें, जिसमें क्षति की मात्रा व उसके प्रकार के सम्बन्ध में अन्तिम परिणाम मालूम किया जा सकेगा। प्रभावित क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हुए नक्शों को तैयार करना तथा एक तहसील के नक्शे से पड़ोस की तहसीलों के नक्शों से तुलना करना, यह सुनिश्चित करने के लिये एक महत्वपूर्ण नियन्त्रण होगा, कि ऐसा कोई क्षेत्र, जहां सहायता की आवश्यकता है, सहायता से वंचित नहीं रहा है और समस्त जिले में समान सिद्धान्तों पर सहायता दी जा रही है।

33. खेतों का वर्गीकरण तथा नुकसान का अनुमान:—(1) यह असंभव है कि कृषकों को वास्तविक सहायता की अलग अलग प्रत्येक खेत का पर्याप्त हुई क्षति के अनुमान पर आधारित किया जा सके और ऐसा करने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिये। क्षति का अनुमान सब खेतों के वर्गों पर लगाना चाहिये, न कि अलग अलग खेतों पर इस प्रयोजन के लिए खेतों का वर्गीकरण आपत्ति के प्रकार पर निर्भर होना चाहिये। ऐसा हो सकता है कि असिंचित खेतों में नुकसान एक सा हुआ हो और सिंचित खेतों में भी नुकसान, यदि कोई हो, तो ऐसी दशा में केवल यह आवश्यक होगा, कि हर एक गांव में समूचे सिंचित (पीवल) खेतों में हुए नुकसान का तथा समूचे असिंचित खेतों में हुए नुकसान का अनुमान लगाया जाय। अन्य मामलों व फसलों के अनुसार नुकसान में अन्तर हो सकता है। यदि ऐसा हो, तो प्रत्येक गांव में प्रत्येक फसल के अनुसार नुकसान का अनुमान लगाया जायेगा। यह भी आवश्यक हो सकता है कि न केवल फसलों में ही विभेद किया जाय, बल्कि एक फसल के सिंचित व असिंचित खेतों में भी विभेद किया जाना चाहिये अन्य सूखतों व जल अशुभे या बाढ़ की सूखत में, किसी गांव का केवल एक ही हिस्सा क्षति ग्रस्त हुआ हो अथवा भिन्न भिन्न हिस्सों में अलग अलग मात्रा में क्षति हुई हो। ऐसे मामले में यह आवश्यक होगा कि क्षति ग्रस्त हिस्से को, या भिन्न भिन्न मात्रा में क्षति ग्रस्त हुए हिस्सों को गांव के नक्शे में चिह्नित कर दिया जाय और ऐसे भाग में या ऐसे प्रत्येक हिस्से की भिन्न भिन्न फसलों के बीच में भी विभेद किया जाय। आपदा से प्रभावित प्रत्येक गांवके मामले में, ऐसे प्रत्येक वर्ग द्वारा, जिसमें गांव के खेतों के विभाजन के लिये कलक्टर द्वारा आज्ञायें दी गई हों, सहन की गई क्षति के बारे में कलक्टर द्वारा निश्चित आज्ञायें दी जायेगी। यदि क्षति ग्रस्त क्षेत्र बहुत बड़ा हो, तो इस प्रयोजन के लिये साधारणतया यह उचित होगा, कि गांवों के समूह बनाये जायें। नुकसान का सर्विस्तार हिदायतें लगाने का प्रयत्न करने के पहिले यह अत्यावश्यक है कि नुकसान का निश्चय करने के प्रयोजन के लिये यह प्रणाली निर्धारित कर दी जाय, जिसके अनुसार खेतों का वर्गीकरण किया जाना हो। जब एक बार किसी प्राधिकारी द्वारा वर्ग निश्चित कर दिये जायें तो उस प्राधिकारी से नीचे श्रेणी के किसी अधिकारी को एक ही श्रेणी के खेतों के बीच नुकसान के अनुमान में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(2) अज्ञायें जाने वाले वर्गीकरण का निश्चयन करते समय कलक्टर को इस बात का ध्यान आवश्यक रखना चाहिये कि नुकसान के आँकड़े केवल अनुमान पर ही लगाये जा सकते हैं और आश्चर्य नहीं है कि अधिक सावधानी से निश्चित किया गया वर्गीकरण स्वयं अपने उद्देश्य में विफल हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने से सहायता के विवरण तैयार करने में विलम्ब होता है और उससे कृषकों को परेशानी उठानी पड़ती है।

(3) नुकसान का अंश अनुमान तैयार करने में कलक्टर को यह ध्यान में रखना चाहिये कि सामान्य फसल, अर्थात् वह फसल जिसमें भीषण क दौरान में साधारणतया 12-13 आना फसल समझी जाती है। केवल उन्हीं वर्षों में फसल 16 आना समझी जाती है जिन वर्षों में फसल को कोई नुकसान न हुआ हो। ऐसे वर्ष अपवाद स्वरूप होते हैं, न कि सामान्य फिर भी सामान्य फसल के बारे में हिदायतों के अनुसार यह

धारणा की गई है कि सामान्य फसल 16 आना फसल है, अर्थात् हिदायतों में नुकसान से लाया सामान्य नुकसान से है। जब तक कि सावधानी से काम नहीं लिया जाय इससे नुकसान का अत्यधिक अनुमान लगाये जाने की संभावना है, विशेष तौर पर ऐसी दशा में, जब कि क्षति बहुत ज्यादा नहीं हो।

(4) कलक्टरों को चाहिये कि वे कृषकों द्वारा उठाई जाने वाली सामान्य आपत्तियों के प्रति पूर्वोपाय () के रूप में मातहत कर्मचारीवर्ग में नुकसानों को अत्यधिक आंवेने की सामान्य प्रकृति को रोकने का समुचित प्रयत्न करें। सरकार अत्यधिक अनुमानों तथा उसके फलस्वरूप होने वाली राजस्व हानि को रोकने की दृष्टि से कलक्टरों को यह महसूस करा देना चाहती है कि नुकसान के अनुमानों की उच्च कर्मचारियों द्वारा पूरी पूरी तथा सावधानीपूर्ण जांच किया जाना अनिवार्य है।

34. सामान्य क्षेत्र:—(1) यदि आपत्ति ऐसे प्रकार की हो कि जिससे बोया हुआ क्षेत्र घट जाय, जैसा कि बाढ़ के मानसून से होने वाली वर्षा में कमी होने के कारण होता है, तो कृषकों द्वारा सहन किये गये नुकसान का हिसाब लगाने समय, इस प्रकार घट गये क्षेत्र के बारे में अवश्य रियायत दी जानी चाहिये सामान्य सिद्धान्त यह है, कि ऐसा क्षेत्र जो बोया नहीं गया हो, किन्तु यदि आपत्ति नहीं आती, तो बोया जाता, के बारे में यह समझा जाता है कि उसमें 16 आना नुकसान हुआ है। यह निश्चय करना प्रत्यक्षतः नितास्त कठिन है कि जो खेत किसी वर्ष में बोये नहीं गये हैं, उनमें से कौन से ऐसे हैं जो, यदि परिस्थितियां भिन्न होती तो बोया जाता। इसको गालूम करने का सबसे सीधा तरीका यह होगा कि प्रत्येक भूमि क्षेत्र के बोये हुए क्षेत्र की तुलना उस भूमि क्षेत्र के किसी सामान्य वर्ष में बोये हुये क्षेत्र से की जाय। इसके लिये यह आवश्यक है कि जिस वर्ष में आपत्ति आई हो, उस वर्ष की खतौनी से, विस्तृत तुलना की जाय जो एक कृषसाध्य कार्य है और उसमें समय लगता है। बदलती हुई कृषि वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। ऐसा तरीका, जिसमें अपेक्षाकृत कम परिश्रम की आवश्यकता हो और जो अधिक सीधा हो, यह है कि सामान्य वर्ष के साथ तुलना की जाकर सामान्यतः बोये जाने वाले भूमि क्षेत्रों के क्षेत्रफल का प्रतिशत निश्चित कर लिया जाय और यह धारणा बनाली जाय कि जिस वर्ष में आपत्ति आई हो, उस वर्ष में मौसम के सामान्य होने की दशा में प्रत्येक भूमि क्षेत्र का यही प्रतिशत बोया जाता रहे।

(2) कलक्टर का यह कर्तव्य होगा कि वह यह निश्चय करे कि आधे बोये हुए क्षेत्र में हुई कमी के कारण कोई रियायत दी जानी है, को यह निश्चित करना कि कौनसा वर्ष माना जाय। यदि आपत्ति बोये हुए क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली नहीं थी अथवा उसका प्रभाव बहुत ही कम अर्थात् 10 या 15 प्रतिशत से कम था, तो कोई रियायत नहीं दी जायेगी।

35. कमिश्नर को प्रारम्भिक रिपोर्ट का भेजा जाना:—(1) ज्योंही कलक्टर आपत्ति के प्रकार व विस्तार का तथा उस कार्यवाही का, जो वह उस आपत्ति के सम्बन्ध में करने का विचार रखता है निश्चय करले, त्योंही वह एक प्रारम्भिक रिपोर्ट कमिश्नर को भेजेगा, जिसमें आपत्ति से प्रभावित हुए क्षेत्र और खेतों के ऐसे वर्गीकरण, जिसे वह सहायता का हिसाब लगाने के प्रयोजनों के लिये योग में लाने का विचार रखता है, निश्चय करले, त्योंही वह एक प्रारम्भिक रिपोर्ट कमिश्नर को भेजेगा, जिसमें आपत्ति से प्रभावित हुए क्षेत्र और खेतों के ऐसे वर्गीकरण जिसे वह सहायता का हिसाब लगाने के प्रयोजनों के लिये योग में लाने का विचार रखता है, दोनों ही के संबंध में स्थिति का पूर्णतः स्पष्टीकरण किया जायेगा और साथ ही ऐसे प्रत्येक वर्ग द्वारा सहन की गई हानि का अनुमान तथा ऐसे मामलों में जिनमें क्षेत्र की कमी के कारण रियायत देना आवश्यक हो, क्षेत्र कमी का अनुमान भेजेगा। उसे कृषकों की स्थिति का भी वर्णन करना चाहिए। इस अभिप्राय से कलक्टर मौसम की प्रगति को समझ सके तथा यह जान सके कि किसी मौसम में वर्षा वितरण व उसकी मात्रा, दोनों के संबंध में सामान्य से किसतः स्थानाधिक रहा, वर्षा मापक () स्टेशनों के आंकड़ों के अनुसार सामान्य वर्षा का एक विवरण अलग प्रकाशित किया जायेगा, जो सभी कलक्टरों के पास भेजा जायेगा। जिस समय वर्षा के आधिक्य या वर्षा की कमी के कारण सहायता प्रस्तावित की जाय तो कलक्टर को चाहिये कि अपना प्रस्ताव प्रेषित करने के समय ऐसे विवरण का हवाला दे और उसे अपनी रिपोर्ट में वास्तविक वर्षा के आंकड़ों की तुलना सामान्य वर्षा के आंकड़ों से करनी चाहिये।

(2) कलेक्टर की रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें भी बतलाई जानी चाहियें:—

- (क) प्रत्येक क्षतिग्रस्त तहसील का वह क्षेत्रफल, जिसमें सामान्य वर्ष में खरीफ रबी की फसले बोई गई हो, मय इस तहसील के कि कितना क्षेत्र पीवल है और कितना सूखा (गैर पीवल),
- (ख) क्षतिग्रस्त हुए गांवों का कुल लगान कितना है, और
- (ग) लगान में कितनी बहुधा (रिलीफ) देना आवश्यक होगा, उसका एक मोटे तौर में तैयार किया गया अनुमान जो उस स्थिति में जिस हद तक बनाया जा सके तथा ऐसी स्थिति में इस प्रकार की सिफारिश करना कि आया प्रस्तावित रिलीफ बतौर छूट दी जानी चाहिए अथवा बतौर स्थगन (मुलतबी), कलेक्टर के लिये अनावश्यक है।

(3) रिपोर्ट में विलम्ब इस कारण नहीं किया जाना चाहिये कि उसमें हिसाब के विस्तृत विवरण सम्मिलित करने हैं। यह रिपोर्ट आपत्ति के उपस्थित होने से एक पखवाड़े के अन्दर भेज दी जानी चाहिये और हर हालत में ऐसी रिपोर्ट (ग्राग द्वारा क्षति होने के मामले को छोड़कर) खरीफ को प्रभावित करने वाली आपदा के मामले में 15 दिसम्बर के पहिले और रबी के प्रभावित होने की दशा में 15 मई के पहिले कमिश्नर के पास पहुंच जानी चाहिये।

(4) इस नियम के तहत अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के पहले कलेक्टर एक ग्राम नोटिस जारी करेगा और उसमें उसके द्वारा अनुमानित हर्ज या हानि का कृषि विपदा से पीड़ित क्षेत्र का उल्लेख करते हुए ग्राम लोगों को उपनियम 5 के मुताबिक उस नोटिस की डोंडी द्वारा उनके गांवों में ग्राम घोषणा होने के बाद अन्दर मयाद 3 दिन अपने गांव पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले तहसीलदार के सामने अपने उज्जात पेश करने की मांग करेगा।

(5) ऐसा ग्राम नोटिस फार्म (ग-ग) में होगा और निम्नलिखित रीति से प्रकाशित किया जायेगा:—

(क) उसकी एक प्रतिलिपि बसाकर—

- (1) उसे जारी करने वाले कलेक्टर के दफतर के नोटिस बोर्ड पर, जिसमें कृषि विपदा से प्रभावित क्षेत्र या उसका कोई अंक स्थित हो, एवं
- (2) प्रत्येक ऐसे गांव में पब्लिक स्थान पर, जो पूर्णतः या अंशतः उक्त कृषि विपदा से प्रभावित हुआ हो और

(ख) प्रत्येक गांव में डोंडी पिटवाकर।

(6) यदि कोई आपत्तियां तहसीलदार द्वारा प्राप्त की जाती हैं तो वे संक्षेपतः () उनकी प्राप्ति के दिन ही निबटा दी जायेगी और कलेक्टर को मय एक रिपोर्ट के निबटारे के विवरण सहित तथा उप-नियम (4) के नोटिस के प्रकाशन के विवरण सहित शीघ्रतया किन्तु उक्त नोटिस के डोंडी द्वारा प्रकाशित किये जाने के एक सप्ताह बाद नहीं, वे कागज भेज दिये जायेंगे।

(7) उप-धारा (1) के अधीन की जाने वाली रिपोर्ट में उस उप-धारा एवं उप-धारा (2) में लिखित विवरणों के अलावा उप-धारा (4) में ग्राम नोटिस जारी करने, उप-धारा (5) में उसके प्रकाशित किये जाने तथा उप-धारा (6) के अधीन आपत्ति, यदि कोई हो, निबटाने के तरीके के बारे में भी विवरण दिये जायेंगे।

कानूनी संशोधन—संशोधन क्रमांक 11 द्वारा उप-धाराएं (4) से (7) जोड़ी गई हैं।

36. कलेक्टर की प्रारंभिक रिपोर्ट पर कमिश्नर का आदेश:—जैसे ही पूर्ववर्ती पैरा के अन्तर्गत प्रेषित की गई कलेक्टर की रिपोर्ट कमिश्नर को मिले, कमिश्नर कलेक्टर की उस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि

उसके विषय में निजी सिफारिशों के साथ सूचनाथ सरकार को भेजेगा। यह अत्यावश्यक है कि कमिश्नर कलेक्टर द्वारा प्रेषित किये गये खेतों के वर्गों की हानि के अनुमानों को स्वीकार करते हुए अपनी स्पष्ट रिपोर्ट करे। यह कमिश्नर का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि पर्याप्त, न कि आवश्यकता से अधिक सहायता दी जाय। कमिश्नरों को यह भी देखना चाहिये कि प्रस्ताव सरकार को भेजे जाने के पहिले उनके कार्यालय में एक सप्ताह से अधिक समय तक नहीं रुकने चाहिये।

टिप्पणी:—नियम 35 में उल्लिखित सिद्धान्तों एवं अवस्थाओं को मद्दे नजर रखकर कलेक्टर विस्तृत रिपोर्ट करेगा, किन्तु सिफारिश की गई सहायता के पर्याप्त न होने पर कमिश्नर अनिश्चित पूछ ताछ भी कर सकता है।

सहायता (रिलीफ) विवरणों का तैयार किया जाना

37. खसरा व सहायता खतौनी में नुकसान का इन्द्राज:—जब कलेक्टर आपत्ति के प्रकार व विस्तार का तथा उस कार्यवाही का, जो वह उस आपत्ति के सम्बन्ध में करने का विचार रखता है, निश्चय करले, तब वह सरकार का आदेश प्राप्त होने पर, सहायता (रिलीफ) के विवरण तैयार करने के लिये आदेश जारी करेगा। आपत्ति द्वारा प्रभावित गांवों के पटवारियों को तहसील में बुला लेना चाहिये और अत्यन्त विग्रिष्ट स्थिति के सिवाय, उनको उस समय तक तहसील में ही रखा जाना चाहिये, जब तक कि विवरण तैयार न हो जाय। इन विवरणों को तैयार करने के लिये सबसे पहला कार्य यह होगा कि खसरे में प्रत्येक खेत के सामने वाले खाने कैफियत में उस खेत की फसल को पहुंची अनुमानित हानि को, नियम 33 के अन्तर्गत पारित आज्ञाओं के अनुसार प्रति रुपया आनों में दर्ज किया जाय। इसके साथ ही साथ समान कुल हानि के क्षेत्र का भी हिसाब लगाया जायेगा और खाने कैफियत में दर्ज किया जायेगा। यह बोये हुए क्षेत्र पर, क्षेत्र के रूप में व्यक्त किया गया है, हानि का प्रमाण है। अतः यदि दो एकड़ बोये हुए क्षेत्र में एक रुपये में 10 आना नुकसान हुआ है, तो इससे यह समझा जायेगा कि 31.4 एकड़ में ऐसी फसल है जिसको कोई हानि नहीं हुई है और 1-1/4 एकड़ का कुल नुकसान हुआ है। यह बड़ा 1-1/4 एकड़ का क्षेत्र समान कुल हानि का क्षेत्र है। यह सुनिश्चय करने के लिये, कि कलेक्टर की आज्ञाओं का पूर्णतः पालन किया गया है, ऐसी प्रविष्टियों की पर्याप्त संख्या में भूमि अभिलेख के निरीक्षक द्वारा जांच की जानी चाहिये। यह कार्य साधारणतया खसरे में निहित सूचना से पूरा किया जा सकेगा, लेकिन उन मामलों में जिनमें गांव का कुछ हिस्सा ओले, बाढ़ इत्यादि से हानिग्रस्त हुआ हो, नकसे से मदद लेना आवश्यक होगा।

38. निश्चित नरुद लगान देने वाले आसामियों के भूमि क्षेत्रों में सहायता की गणना:—इसके बाद प्रागे दिये गये प्रपत्र के अनुरूप सहायता (रिलीफ) खतौनी तैयार की जानी चाहिये। सहायता (रिलीफ) खतौनी का उद्देश्य यह है कि लगान में जो सहायता दी जाती है उसका हिसाब लगाया जा सके। इस गणना के लिये पहिला कार्य यह है कि सहायता (रिलीफ) खतौनी के स्तम्भ 5 में प्रत्येक खेत की समान कुल हानि के क्षेत्र की प्रविष्टि की जाय और इस स्तम्भ का प्रति भूमि क्षेत्र () जोतवार, योग लगाया जाय ताकि उस भूमि क्षेत्र के समान कुल हानि का क्षेत्र मालूम किया जा सके। भूमि क्षेत्र के कुल बोये हुए क्षेत्र को मालूम करने के लिये स्तम्भ 4 का भी योग लगाना चाहिये। यदि क्षेत्र में कमी के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ तो सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र द्वारा सहन किया गया नुकसान, समान कुल हानि, के इस क्षेत्रफल की भूमि क्षेत्र के उभ क्षेत्रफल से, जो ऐसी फसल में बोया गया है, जिसमें आपत्ति आई है, तुलना करके प्रति रुपया आनों में व्यक्त किया जायेगा। इस प्रकार माभान्य उपज का नुकसान प्रति रुपया आनों में मापा जाता है। निश्चित नरुद लगान की दशा में स्तम्भ 10 में फसल के लगान की पूरी मांग दर्ज की जाती है और उस फसल में जितना जितना लगान वस्तुतः दिया जाना है, वह पैराग्राफ 3 में बत नाये हुए रैमाने के अनुसार मालूम किया जाकर, स्तम्भ 11 में दर्ज किया जाता है।

टिप्पणी:—निश्चित नरुदी लगान के दायी काश्तकारों को देय सहायता के विवरण निर्धारित प्रपत्र (फार्म) में दर्ज किये जायेंगे। ऐसे निर्धारित फार्म का नमूना अपने पृष्ठों में देखिए।

39. प्रविष्टियों की उच्च पदाधिकारियों द्वारा जांच:—यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कार्य है कि खसरा में समान कुल हानि की प्रविष्टियां और खतौनी में की गई प्रविष्टियों, एवं लगाये गये हिसाब की गहरी

और पूरी पूरी जांच की जाय क्यों कि इन पर ही रुपयों में दी जाने वाली सहायता की वास्तविक रकम आधारित होती है। जब कि भूमि अभिलेख का निरीक्षण प्रविष्टियों तथा गणना की यथार्थता के लिये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है, कलक्टर को चाहिये कि वह तहसीलदार या नायब-तहसीलदार द्वारा की जाने वाली जांच के लिये भी यथोचित प्रतिशत निर्धारित करदे। सब-डिविजनल अफसर को यह देखना चाहिये कि तहसीलदार अथवा अन्य मातहत कर्मचारियों द्वारा की गई जांच वास्तविक व प्रभावोत्पादक है।

40. एक ही हानि की कतिपय दशाओं में सहायता (रिलीफ) खतौनी का तैयार नहीं किया जाना:— यदि किसी गांव की समस्त फसलों को एक ही हानि हुई हो तो सहायता खतौनी तैयार करना अनावश्यक होगा, क्यों कि दी जाने वाली सहायता का हिसाब नियम 29 में दी गई शर्तों से सीधे लगाया जा सकता है। लेकिन अतिरिक्त क्षेत्रों को जोड़ कर, ऐसी स्थिति जब तक कि हानि बाढ़ के कारण नहीं हो, कभी कभी ही उपस्थित होती है।

41. ठिकमी आसामियों को सहायता:— यदि ठिकमी आसामियों का क्षेत्र बड़ा हो, तो उनको भी सहायता उसी अनुपात से दी जा सकेगी, जिस अनुपात से मुख्य आसामियों को दी जाती है।

परिशिष्ट संख्या 13

(देखिये अनुच्छेद संख्या 126)

विभिन्न नहरी परियोजनाओं में राजकीय भूमि विक्रय (स्थायी आवंटन/नीलामी) सम्बन्धी नियमों के लेखा संबंधी प्रावधानों का सारांश:—

क—गंग नहर क्षेत्र

1. राजस्थान उपनिवेशन (गंग कैनल लैंड परमानेंट अलाटमेंट) नियम, 1956 राजस्थान राजपत्र, दिनांक 21-2-1957, भाग 4 (ग) में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किये गये हैं। उक्त नियम 6 के अन्तर्गत भूमि का स्थायी आवंटन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर किया जाता है।

2. मूल्य निर्धारण:—उपरोक्त नियमों के नियम 7 के अन्तर्गत स्थाई आवंटन की जाने वाली भूमि के लिये राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या एफ० 6(34)/राजस्व 11-54/सिचाई(1), दिनांक 4-7-60 से जो राजस्थान राजपत्र, दिनांक 11-8-60, भाग 4(ग) में प्रकाशित की गयी, निम्नलिखित मूल्य दर निर्धारित किये गये:—

प्रकार (वर्ग)	क्षेत्र	मूल्य
(क) बारामासी सिंचित भूमि	तहसील गंगानगर, करनपुर, रायसिंहनगर पदमपुर और अनूपगढ़	400) रु० प्रति बीघा। किसी मण्डी से एक मील की परिधि (Radius) में स्थित भूमि के लिए 100) रुपया प्रति बीघा अतिरिक्त।
(ख) 6 मासी सिंचित भूमि	„	7,500) प्रति मुरब्बा 25 बीघों का।
(ग) बारानी भूमि	„	2,500) प्रति मुरब्बा बारानी-वारानी से सिंचित होने पर निर्धारित रेट से बैंडरमेंट लेवी वसूल होगी।

उपरोक्त मूल्य दरों को संशोधित करते हुये नोटिफिकेशन सं० एफ० 22(30)राज/उप/65, दिनांक 31-8-67 जो राजस्थान राजपत्र, दिनांक 21-9-67, भाग 4(क) में प्रकाशित किया गया, से भूमि के मूल्य की दर पुनः निम्न प्रकार निर्धारित की गई।

किस्म भूमि	मूल्य प्रति बीघा रुपयों में
(क) सिंचित बारामासी	700 रुपया
(ख) सिंचित 6 मासी	500 रुपया
(ग) बारानी	200 रुपया

बशर्ते कि किसी मण्डी एरिया के 2 मील परिधि में उपरोक्त निर्धारित मूल्य से 25 प्रतिशत अधिक मूल्य लिया जावेगा।

संशोधित दर से मूल्य दिनांक 21-9-67 को या उसके बाद में लिये गये या किये जाने वाले आवंटनों के मामलों में लिया जावेगा।

मण्डी क्षेत्र से परिधि नियत करने के लिये आधार बिन्दु उप-जिलाधीश कार्यालय अगर स्थित हो तो उससे, या तहसील कार्यालय से मानी जावे। दोनों ही कार्यालय नहीं होने पर तो पुलिस स्टेशन से मानी

जावेगी। वर्तमान मण्डी एवं प्रस्तावित मण्डी अलग अलग स्थानों पर हो तो एक मील की परिधि प्रत्येक मण्डी के सेक्टर से मानी जावेगी।

3. भूमि के मूल्य की वसूली:—(1) उपरोक्त नियमों के नियम 7(2) के अनुसार भूमि का मूल्य दस वार्षिक समान किश्तों में वसूल किया जावेगा। दिनांक 5-6-70 को किये जाने वाले आवंटनों की मूल्य राशि 15 वार्षिक किश्तों (समान) में वसूल की जावेगी [विज्ञप्ति संख्या एफ० 22(30) राज/उप/65, दिनांक 5-6-70] परन्तु प्रथम किश्त तहसील मुख्यालय पर कलक्टर के आवंटन आदेश की तिथि से एक मास के अन्दर जमा करानी होगी।

बशर्ते कि भूमि का मूल्य उसी समय जमा कराने की दशा में जमा कराने वाले व्यक्ति को उस कुल राशि का 5 प्रतिशत के हिसाब से रिबेट दिया जावेगा।

बशर्ते कि अलाटी की प्रार्थना पर प्रथम किश्त के भरने की एक मास की अवधि को कलक्टर द्वारा बढ़ाया जा सकेगा जो 6 मास से अधिक नहीं होगी या फसल की कटाई के समय तक होगी, और दोनों में से जो भी अवधि पहले हो। ऐसी सूरत में नियम 7 के उप-नियम (4) के खण्ड (i), (ii) व (iv) के प्रावधान लागू होंगे।

(2) नियम 7(2) में निर्धारित अवधि में प्रथम किश्त की पूरी राशि जमा न कराने पर भूमि आवंटन आदेश निरस्त (रद्द) किया जा सकेगा।

(3) किश्तों में भुगतान करने पर:— (क) यदि कोई किश्त निर्धारित तिथि (15 जुलाई) पर जमा नहीं कराई जाती तो उस पर 4½ प्रतिशत वार्षिक की दर से सूद लिया जावेगा। जो नोटिफिकेशन सं० एफ० 22(30) राज/उप/65, दिनांक 28-11-70 से आवंटन नियमों में संशोधित ब्याज की दर करते हुए 4 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत की जा चुकी है।

(ख) यदि लगातार दो किश्तें निर्धारित तिथियों पर जमा नहीं कराई जाती तो भूमि आवंटन आदेश निरस्त (रद्द) किया जा सकेगा।

(ग) जब तक भूमि का पूरा मूल्य भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक 1.50 रुपया प्रति बीघा की दर से मालकाना चार्ज होता रहेगा।

(घ) जब तक भूमि की पूरी कीमत भुगतान नहीं कर दी जाती आवंटित भूमि किसी अन्य को हस्तान्तरण नहीं की जा सकेगी।

(4) नोटिफिकेशन एफ० 22(30) राज/उप/65, दिनांक 28-11-70 द्वारा आवंटन नियमों में संशोधित करते हुये राज्य सरकार द्वारा किश्तों के भुगतान में यह छूट दी गई है कि यदि पूरा मूल्य या समस्त बाकी किश्तों की राशि का भुगतान 31-3-72 तक कर दिया जाता है तो मूल्य के उस भाग की राशि पर या उन किश्तों की राशि पर जो भुगतान के दिन देय नहीं हुई पर 25 प्रतिशत के बराबर छूट दी जावेगी।

4. काश्मीरी विस्थापितों को कृषि भूमि का आवंटन (देखिये अनुच्छेद सं० 129):—(1) गंगानगर जिले की समेजा नहर क्षेत्र में सन् 1952 में काश्मीरी विस्थापितों, हरिजनों विस्थापितों व अन्य गैर दावेदार विस्थापित (Non-claimant) व्यक्तियों को राजकीय कृषि भूमि आवंटन की गई थी। यह आवंटन पहले अस्थायी तौर पर किया गया था परन्तु बाद में राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 2(42)आर०आर०/62, दिनांक 20-1-66 द्वारा भूमि का आवंटन सन् 1952 से ही पुख्ता (स्थायी) आवंटन माना गया और राजस्थान उपनिवेशन (अधिनियम 1954 राजस्थान उपनिवेशन गंग कैनल लैंड परमानेन्ट अलॉटमेंट) नियम, 1956 के प्रावधान लागू किये गये। भूमि का मूल्य उपरोक्त नियमों के नियम 7 के अनुसार 10 समान वार्षिक किश्तों में वसूली करने और समस्त मूल्य एक साथ भुगतान किये जाने पर 5 प्रतिशत के हिसाब से मूल्य राशि में छूट देने का निर्देश दिया गया। जब तक पूरा मूल्य भुगतान नहीं किया जाता तब तक उपरोक्त नियमों के नियम 7(4)(iii) के अनुसार मालकाना खरीददारी 150 रुपया प्रति बीघा की दर से वसूल किया जावेगा।